CDPP
CENTRE FOR DEVELOPMENT POLICY AND PRACTICE

वर्किंग पेपर: भाग-2
अंक: 01 जनवरी-2022

उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के विकास की स्थिति

सलाहकार परिषद

अमिताभ कुंडू
विशिष्ट फेलो,
आर.आई.एस.डी.सी.

पी.सी. मोहनन
पूर्व सदस्य,
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग

अमीरुल्लाह ख़ान
अनुसंधान निदेशक,
सी.डी.पी.पी.

कार्यकारी सारांश

- 2011 की जनगणना के अनुसार, यूपी में मुसलमानों की आबादी 38.48 मिलियन थी।
- मुसलमानों की संख्या उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 19.25 प्रतिशत है भारत में 14.23 प्रतिशत।

शिक्षा

- 58.3 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत की तुलना में उत्तर प्रदेश में 15 साल से अधिक उम्र के 71.2 प्रतिशत मुसलमान निरक्षर या प्राथमिक स्तर से नीचे शिक्षित थे।
- पी.एल.एफ़.एस. के अनुसार 2019-20 में मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति से पता चलता है कि कुल निरक्षरता दर 34.01 प्रतिशत की तुलना में 40.83 प्रतिशत मुसलमान निरक्षर थे।
- सभी व्यक्तियों के लिए 25.11 प्रतिशत के आंकड़ों के मुक़ाबले में 28.49 प्रतिशत मुसलमान प्राथमिक स्तर तक शिक्षित थे। कुल जनसंख्या के **25.5** प्रतिशत की तुलना में केवल 16.8 प्रतिशत मुसलमानों के पास मध्यम स्तर से ऊपर की शिक्षा है।
- जैसे-जैसे हम शिक्षा की सीढ़ी चढ़ते हैं, मुसलमानों का अनुपात तेज़ी से गिरता है। केवल 4.4 प्रतिशत मुसलमानों के पास विश्वविद्यालय की डिग्री है और 2009-10 के आंकड़े में सुधार 2.7 प्रतिशत है

रोज़गार

- भारत (31.6 प्रतिशत) की तुलना में उत्तर प्रदेश में नियमित मज़दूरी/वेतन रोज़गार का अनुपात (25.6 प्रतिशत) कम है।
- सेवा क्षेत्र में कामगारों का अनुपात भी भारत (32.2 प्रतिशत) की तुलना में उत्तर प्रदेश में (27.3 प्रतिशत) कम है। इस प्रकार, यू.पी. में मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा भारत की तुलना में कम नियमित और कम आय वाले व्यवसायों में लगा हुआ है।

भूमि और संपत्ति का स्वामित्व

- 2014-15 के एक अध्ययन के अनुसार, केवल 48.05 प्रतिशत मुस्लिम परिवारों की तुलना में 48.05 प्रतिशत मुस्लिम परिवार भूमिहीन थे।
- स्वामित्व वाली भूमि का आकार भी हिंदू परिवारों (2.63 एकड़) की तुलना में मुस्लिम परिवारों (2.03 एकड़) के लिए कम था।
- केवल 1.70 प्रतिशत मुस्लिम परिवारों के पास **5** एकड़ से अधिक भूमि थी।

ग़रीबी

- एन.एस.एस. 2009-10 के अनुसार मुस्लिम परिवारों में मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता ख़र्च पूरे भारत में 988 रुपये की तुलना में उत्तर प्रदेश में 752 रुपये था।
- सभी सामाजिक समूहों की तुलना में मुसलमानों में ग़रीबी अनुपात अधिक है।

उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के विकास की स्थिति - नीतिगत निहितार्थ

सार

भारत में मुसलमान सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय हैं। 2011 की जनगणना के सर्वेक्षण के अनुसार, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में मुसलमानों की संख्या 19.26 प्रतिशत है। यह समुदाय शिक्षा, आर्थिक, रोज़गार, आवास, भूमि, ऋण प्राप्त करने तथा विकास के अन्य मामलों में अन्य सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों (एस.आर.सी.) से बहुत पीछे है। यह लेख उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के विकास संकेतकों, उनके इतिहास, कारणों और प्रभावों और समुदाय के सापेक्ष विकास के निरंतर बिगड़ने को रोकने के लिए संभावित हस्तक्षेपों को प्रस्तुत करता है।

निम्नलिखित लेख 'उत्तर प्रदेश में मुसलमान' नामक एक आगामी खंड के अध्यायों के उद्धरणों का संकलन है।

परिचय

उत्तर प्रदेश ने भारतीय राजनीति में एक केंद्रीय भूमिका निभाई है और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र में रहा है। यू.पी. ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और दारुल-उलूम देवबंद जैसे आधुनिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हस्तियाँ जैसे राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेख़र आज़ाद उत्तर प्रदेश राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रसिद्ध नेता थे, जबकि मोहन मल्ल रूनेरू, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और गोविंद वल्लभ पंत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। इसके अलावा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, बलिया ज़िले ने स्थानीय औपनिवेशिक सरकार पर अधिकार कर लिया और चित्तू पांडे के अधीन एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना की।

इतिहास के दौरान यू.पी. ने अपने नाम के साथ-साथ भौगोलिक समावेशन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। उत्तर प्रदेश शुरू में बंगाल प्रेसीडेंसी का एक हिस्सा था। इस प्रकार चौथी प्रेसीडेंसी का गठन वर्ष 1834 में हुआ, जिसे आगरा प्रेसीडेंसी के नाम से जाना जाता है। उत्तर-पश्चिमी प्रांत 1836 में स्थापित किए गए थे, और 1856 में, अवध के नवाब-शासित राज्य को जोड़ा गया था और बाद में उत्तर-पश्चिमी प्रांतों के साथ विलय कर उत्तर-पश्चिमी प्रांतों और अवध का नाम बदला गया था। 1902 में, 'आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत' बनाया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा यूनाइटेड प्रोविंसेस (यू.पी.) के नाम को छोटा कर दिया गया था। आज़ादी के बाद यू.पी. का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया.[1]

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के पारित होने के साथ, अलग राज्य की मांग के बाद, उत्तराखंड को यू.पी. से बाहर कर दिया गया था। यू.पी. में अब 18 प्रशासनिक प्रभाग, **75** ज़िले और एक लाख से अधिक गांव शामिल हैं। 2011 में, यू.पी. की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने बेहतर प्रशासन प्रदान करने के हित में यू.पी. को चार छोटे राज्यों

[1] 1 https://www.hindustantimes.com/lucknow/uttar-pradesh-day-how-the-state-was-born-67-years-back/story Y2JhCTBIo2UuQYvQSTBNgN.html

—पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश और पश्चिम प्रदेश—में विभाजित करने के लिए विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया।[2]

यू.पी. भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जो भारत की आबादी में 16% का योगदान देता है। यू.पी. का जनसंख्या घनत्व 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो देश में सबसे अधिक है। 2011 में, उत्तर प्रदेश में प्रति दशक की जनसंख्या वृद्धि 20.23% थी, जो अखिल भारतीय औसत 17% से बहुत अधिक थी। यू.पी. में 79.7% हिंदू, 19.3% मुस्लिम, 0.3% सिख और 0.2% ईसाई तथा अन्य समुदायों का एक छोटा भाग बस्ता है।[3]

अपनी बड़ी आबादी को देखते हुए, यू.पी. लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 सीटों पर प्रतिनिधित्व करता है। 2011 की जनगणना में राज्य की साक्षरता दर 67.7% थी, जो राष्ट्रीय औसत 74% से कम थी। पुरुषों की साक्षरता दर 79 प्रतिशत और महिलाओं की साक्षरता दर 59 प्रतिशत[4] है। विडंबना यह है कि यू.पी. देश में सबसे अधिक शैक्षणिक संस्थानों में से एक है, जिसमें 44 केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल हैं।[5]

यू.पी. काफ़ी हद तक कृषि प्रधान राज्य है। उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति (वर्तमान मूल्यों पर) 1980-81 में 4506 रुपये से बढ़कर 2020-21 में 73,792 रुपये हो गया है। यू.पी. में जी.डी.पी. की वृद्धि (प्रतिशत में) 1981-82 में 0.77% से बढ़कर 2013-14 में 14.34% और 2020-2021 में 1.05% हो गई है।[6] [7]

सच्चर समिति के रहस्योद्घाटन तक मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक स्थितियों पर शोध और नीति की दृष्टि से अधिक ध्यान नहीं दिया गया। रंगनाथन मिश्रा समिति और सच्चर समिति के बाद मूल्यांकन समिति ने सच्चर समिति की रिपोर्ट के निष्कर्षों की पुष्टि की। हालाँकि, इस तरह के सभी शोध बड़े पैमाने पर या राष्ट्रीय स्तर पर हुए हैं, जो पारित होने में क्षेत्रीय या राज्य स्तर के अभाव को छूते हैं। तेलंगाना में जी. सुधीर आयोग (2016) और महमूदुर्रहमान समिति की रिपोर्ट (2013) इस नियम के अपवाद हैं।

इस स्थिति को देखते हुए, तेलंगाना में जी. सुधीर आयोग के लिए काम करने वाली टीम और सलाहकारों ने उत्तर प्रदेश के लिए इसी तरह का अध्ययन शुरू किया है। यह अध्ययन मुसलमानों का एक स्थितिजन्य विश्लेषण होगा – जिसके अन्तर्गत उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति और मुस्लिम समुदाय के सामने आने वाली समस्याओं को समझना, उनका आकलन और मूल्यांकन करना और समस्याओं को हल करने के लिए नीतिगत उपायों का सुझाव देना शामिल है। यह अध्ययन अधिकतर सूचना के द्वितीयक स्रोतों और वर्तमान साहित्य पर आधारित होगा।

उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह संख्या के संदर्भ में है, इसमें विभिन्न संप्रदायों, जातियों और समुदायों के मुसलमानों की सबसे बड़ी संख्या है, और इसलिए यह अध्ययन अत्यधिक प्रासंगिक होगा।

---

[2] 2https://www.thequint.com/voices/blogs/uttar-pradesh-divide-four-parts-bsp-sp-elections-mayawati-akhilesh-yadav

[3] 3 भारत की जनगणना, 2011

[4] उपर्युक्त

[5] www.ugc.ac.in

[6] सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

[7] www.indiastat.com

यह अध्ययन उन व्यापक क्षेत्रों को कवर करने का प्रयास करेगा जो मुसलमानों के सार्वजनिक जीवन, आजीविका, शैक्षिक प्रगति, आर्थिक गतिशीलता और उन कारकों को प्रभावित करते हैं जो आगे असमानताओं को उत्पन्न करते हैं और उन्हें बढ़ाते हैं।

1. उत्तर प्रदेश पिछड़ा क्यों रह गया है?

यू.पी. का प्रदर्शन

उत्तर प्रदेश भारतीय संघ का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार, इसकी जनसंख्या 20 करोड़ है जो देश की जनसंख्या में 16.5 प्रतिशत का सर्वोच्च भाग है। 2001-2011 के दौरान राज्य की जनसंख्या में 20.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि देश में 17.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। राज्य का जनसंख्या घनत्व 689 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, जो राष्ट्रीय औसत घनत्व (324 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी) के दोगुने से भी अधिक है।

1951 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय अखिल भारतीय औसत के बहुत क़रीब थी, जब यह उत्तर प्रदेश में 259 रुपये थी, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह 267 रुपये थी, जो केवल 8 रुपये कम थी। राज्य की प्रति व्यक्ति आय इस प्रकार 1951 में राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय का 97% थी, लेकिन धीरे-धीरे 1971-72 में इस औसत के 68% तक गिर गई, 1991-92 (67.5%) तक इस स्तर के क़रीब रही, फिर 2001-02 में गिरकर 50.5 हो गई, और 2014-15 में 40.5% (श्रीवास्तव और रंजन 2019)। इससे पता चलता है कि सिंचाई (सतही और भूमिगत दोनों) में वृद्धि और गेहूं और धान उत्पादन में हरित क्रांति के कारण, यू.पी. का समग्र विकास प्रदर्शन केवल 1970 और 1980 के दशक के दौरान राष्ट्रीय स्तर के क़रीब रहा। इसके बावजूद, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में 1981-96 की अवधि के दौरान केवल 1.8% प्रति वर्ष की वृद्धि हुई, जबकि देश में यह 3.1% थी।

तब से, यह अंतर और भी चौड़ा हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति वृद्धि 1990 के दशक से असंतोषजनक रही है, जैसा कि चित्र 1 (उपर्युक्त) और तालिका 1 और 2 में दिखाया गया है।

Figure 1: UP per Capita Income as Percentage of India

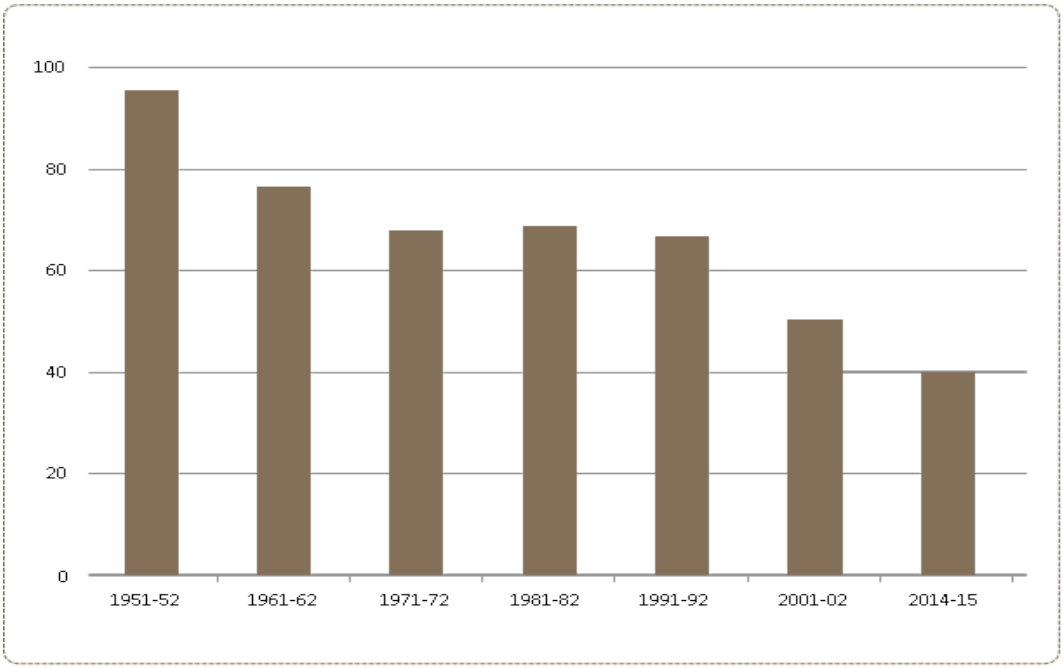

Table 1 : CAGR of Per Capita Income (%) for different periods[8]

Years	Uttar Pradesh	India
1951-56	0.5	1.7
1956-61	0.3	1.9
1961-66	-0.2	0.0
1966-69	-1.5	1.8
1969-74	0.4	1.1
1974-79	3.3	2.9
1981-85	6.3	3.1
1985-90	3.3	3.6
1990-92	1.1	0.4
1992-97	1.4	4.9
1997-02	-0.4	3.6
2002-07	3.3	6.0
2004-11	5.0	7.0
2011-20	4.2	5.1

Table 2: Per capita Income of major Indian states at constant prices

State	1993–94 (₹)	2017-18 (₹)	Annual Growth Rate (%)
Bihar	3,333	9545	4.52
Uttar Pradesh	5,745	13703	3.72
Jharkhand	7,125	17115	3.75
Assam	6,422	18335	4.50
Madhya Pradesh	7,366	20494	4.39
J&K	7,545	20686	4.33
Odisha	5,608	20966	5.69
Chhattisgarh	7,619	22192	4.59

[8] Diwakar (2009)

West Bengal	**7,458**	**23155**	**4.87**
Rajasthan	**7,034**	**24582**	**5.40**
Punjab	**14,203**	**35246**	**3.89**
Andhra Pradesh	**8,308**	**35565**	**6.30**
Himachal Pradesh	**8,857**	**41275**	**6.68**
Tamil Nadu	**9,979**	**42396**	**6.26**
Gujarat	**11,323**	**43155**	**5.78**
Maharashtra	**13,566**	**43513**	**5.02**
Uttarakhand	**7,535**	**45049**	**7.80**
Kerala	**8,761**	**45464**	**7.16**
Karnataka	**8,706**	**46366**	**7.28**
Haryana	**12,625**	**50243**	**5.97**

स्रोत: लेखक का अनुमान भारतीय रिज़र्व बैंक (भारतीय राज्यों पर आंकड़ों की पुस्तिका) के वार्षिक आंकड़ों पर आधारित है।

इस प्रकार 1993-94 से 2017-18 के दौरान, यू.पी. की प्रति व्यक्ति आय में सबसे धीमी वार्षिक वृद्धि दर केवल 3.72 प्रतिशत प्रति वर्ष दर्ज की गई, जो बिहार (4.52%), मध्य प्रदेश (4.39%), और ओडिशा (5.69%) से भी बदतर है। . वर्तमान शासन के चार वर्षों (2017-21) के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि यू.पी. की प्रति व्यक्ति आय में (इंडियन एक्सप्रेस, 22 सितंबर, 2021 के अनुसार) राष्ट्रीय औसत 2.7% के मुक़ाबले प्रति वर्ष केवल 1.8% की वृद्धि हुई है।

मानव विकास के संकेतकों पर भी उत्तर प्रदेश भारत के सभी प्रमुख राज्यों में लगभग सबसे निचले पायदान पर है। यू.पी. के लिए 2019 में मानव विकास सूचकांक भारत के सभी राज्यों में दूसरे सबसे निचले स्थान पर था। यह 0.596 था, जो केवल बिहार से बेहतर था। भारत का औसत 0.645[9] था। 2017-18 में आई.एम.आर. (प्रति 1000 शिशु मृत्यु दर) यू.पी. में सबसे ख़राब 43 था, जबकि बिहार में 32, झारखंड में 30 और ओडिशा में 40 था। 2013-17 के दौरान उत्तर प्रदेश में जीवन प्रत्याशा 65.0 थी, जो सभी राज्यों में सबसे कम थी, मध्य प्रदेश (66.0), ओडिशा (68.4), बिहार (68.9) और झारखंड (68.6) से भी बदतर। एस.आर.एस. 2016-18[10] के अनुसार मातृ मृत्यु अनुपात (एम.एम.आर.) उत्तर प्रदेश में 197 था, जबकि राजस्थान में 164, मध्य प्रदेश में 173 और बिहार में 149 था। अखिल भारतीय आंकड़ा 113 था।

[9]https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Indian_states_and_union_territories_by_Human_Development_Index

[10]https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1697441

[11]https://www.niti.gov.in/sites/default/□les/202109/District_Hospital_Report_for_digital_publication.pdf

गाँव, प्रखंड (ब्लॉक) और उप-ज़िला स्तर पर आवश्यक संख्या में स्वास्थ्य केंद्रों में से लगभग आधे की स्थिति नहीं है. यू.पी. में एक सरकारी डॉक्टर ने 18580 की आबादी को कवर किया, इस मामले में केवल बिहार यू.पी. से भी बदतर था। यू.पी. में एक ज़िला अस्पताल में प्रति एक लाख आबादी पर केवल 13 बिस्तर हैं, जबकि अखिल भारतीय औसत 24[11] है। इंडियन एक्सप्रेस दिनांक 3 सितंबर 2021 के अनुसार, कोरोना के ख़िलाफ़ एक गोली लेने वालों का, यू.पी. में 41 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 71 प्रतिशत और उत्तराखंड में 81 प्रतिशत। यहाँ तक कि 44% के साथ बिहार भी यू.पी. से ज़्यादा था।

2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर (प्रति '100 जनसंख्या) 57.2 थी, जबकि ओडिशा में 64.0, मध्य प्रदेश में 59.2 और छत्तीसगढ़ में 60.2 थी। यू.पी. में श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी और भी चिंताजनक है। 2011-12 के दौरान, राष्ट्रीय औसत 22.2 प्रतिशत के मुक़ाबले उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में केवल 15.1 प्रतिशत महिलाएँ श्रम बल में थीं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये आंकड़े यू.पी. और भारत के लिए क्रमशः 28.4 और 37.6 प्रतिशत थे (ममगैन और वेरिक 2017)।

अखिल भारतीय आंकड़ों की तुलना में राज्य में बाल लिंगानुपात घट रहा है। 1991 में 927 से बाल लिंगानुपात गिरकर 2001 में 916 और 2011 में 902 हो गया। 2001 और 2011 के अखिल भारतीय आंकड़े क्रमशः 927 और 918 थे। यद्यपि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 में संशोधन किया गया था, जिसमें सभी राज्यों में क़ानूनी रूप से पुरुषों के बराबर हिंदू महिलाओं को भूमि में उत्तराधिकार का अधिकार दिया गया था, यू.पी. ने केवल अविवाहित बेटियों को उन लोगों की श्रेणी में जोड़ा, जिन्हें 2008 में बेटों के बराबर कृषि भूमि विरासत में मिलेगी, लेकिन विवाहित बेटियाँ अब भी शामिल नहीं हैं। आइए उम्मीद करते हैं कि कोई कोर्ट जाएगा और इस अवैधता को दूर करवाएगा।

विनिर्माण आय में राज्य की हिस्सेदारी 1960 के दशक की शुरुआत में लगभग 5.6% से बढ़कर 1980 के दशक के अंत में लगभग 9% हो गई, लेकिन 2016 तक गिरकर लगभग 5% हो गई। राज्य की आय में विनिर्माण आय का हिस्सा भी 1960 के दशक के आरंभ में 7% से बढ़कर 1980 के दशक में लगभग दोगुना 15% हो गया, लेकिन 2016 तक गिरकर लगभग 9% हो गया (श्रीवास्तव और रंजन 2019)। देश में 18.45% श्रमिकों की तुलना में, यू.पी. में केवल 10.79% श्रमिकों के पास अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र में नियमित वेतन या वेतनभोगी रोज़गार है। यह यू.पी. की अर्थव्यवस्था की कृषि प्रधान प्रकृति का प्रतिबिंब है।

पी.एल.एफ़.एस. की वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019 के अनुसार, यू.पी. में कुल आबादी का केवल 28.7% आर्थिक गतिविधियों में लगा हुआ था, जो कि बिहार को छोड़कर भारत के सभी प्रमुख राज्यों में सबसे ख़राब था। अखिल भारतीय औसत 35.3% (मित्र और श्रीवास्तव 2021) था। शिक्षितों के लिए बेरोज़गारी की स्थिति इतनी विकट हो गई है कि 2015 में यू.पी. की राज्य सरकार को चपरासी के रूप में 368 रिक्तियों के लिए 23 लाख आवेदन प्राप्त हुए। इसके अलावा, नौकरी चाहने वालों में 250 पी.एच.डी. उम्मीदवार, 25,000 पोस्ट ग्रेजुएट और 152,000 ग्रेजुएट (कुमार 2016) शामिल थे। हालाँकि, 1990 के दशक के बाद से राज्य की शिक्षा और स्वास्थ्य की

[12]https://www.indiaspend.com/96-villages-electri□ed-yet-in-6-states-31-homes-lack-electricity-85393

[13]https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1592833

देखभाल प्रणालियों में गिरावट ने युवाओं को कुशलता प्राप्त करने और वयस्कता के लिए सुरक्षित, प्रभावी और स्वस्थ परिवर्तनों पर चर्चा करने से रोक दिया है (जेफ़री एंड जेफ़री 2011; कृष्णा 2002)।

2003 से 2013 के बीच उत्तर प्रदेश में ग्रामीण परिवारों की मज़दूरी से आय में कोई वृद्धि नहीं हुई, जबकि बिहार में 28%, ओडिशा में 41% और मध्य प्रदेश में 17% की वृद्धि हुई। अखिल भारतीय औसत 22% था (चंद्रशेख़र और मेहरोत्रा 2016)।

उत्तर प्रदेश में जहाँ 99% गाँवों में बिजली है, केवल 60% घरों में बिजली है, जो झारखंड (67%), ओडिशा (70%) और मध्य प्रदेश (86%)[12] में बिजली वाले घरों से कम है। वर्ष 2018-19 के लिए प्रति व्यक्ति बिजली की खपत उत्तर प्रदेश में केवल 606 किलोवाट थी, जबकि छत्तीसगढ़ में 1961, राजस्थान में 1282 और उत्तराखंड में 1467 थी[13]। 2018-19 में कुल ट्रांसमिशन और कमर्शियल लॉस यू.पी. में तीसरा सबसे ज़्यादा 33% था, केवल जम्मू-कश्मीर और एम.पी. यू.पी.[14] से बदतर थे। भारतीय औसत 22% था।

भारत के 18 बड़े राज्यों में से, यू.पी. 2019 में शासन सूचकांक[15] में दूसरे स्थान पर था, झारखंड से ठीक ऊपर, और बिहार, एम.पी. और राजस्थान से बहुत पीछे था।

उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के पीछे के कारक

पिछले सत्तर वर्षों के दौरान यू.पी. के कमज़ोर विकास प्रदर्शन को एक कारक के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इस पत्र में चर्चा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कारकों का सारांश नीचे दिया गया है:

1. ऐतिहासिक रूप से अंग्रेज़ों ने पश्चिमी और दक्षिणी भारत को विकसित करने में अधिक रुचि ली, क्योंकि बंदरगाहों से निकटता और किसानों से भूमि राजस्व का प्रत्यक्ष संग्रह था, जबकि यू.पी. के ज़मींदारों और तालुक़दारों ने भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढाँचे के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं ली।
2. तीन दशकों से अधिक समय तक यू.पी. राजनैतिक अनिश्चितता से जूझता रहा, क्योंकि 1967 और 2003 के बीच यू.पी. ने 17 मुख्यमंत्री देखे और 8 बार राष्ट्रपति शासन घोषित किया गया।
3. यू.पी. के ज़्यादातर राजनेता अब कारोबार में लगे हैं। वे हमारी मिलों, राइस शेलर्स, शराब की दुकानों, अचल संपत्ति, ईंट-भट्ठों, उचित मूल्य की दुकानों और कोयले, रेत और खदान व्यवसायों जैसी आवश्यक वस्तुओं के लाइसेंस चलाते हैं या नियंत्रित करते हैं। हालाँकि, इन सभी औद्योगिक गतिविधियों को क़ानूनों, नियमों और विनियमों के माध्यम से भारी रूप से नियंत्रित किया जाता है, जो एक सामान्य व्यक्ति को इन व्यवसायों में जीवित रहने के लिए तब तक रोकते हैं जब तक कि उसे राजनेताओं का सक्रिय समर्थन प्राप्त न हो। नियंत्रण नौकरशाही को आम लोगों को परेशान करने और उनसे रिश्वत लेने की अपार शक्ति देता है। इस प्रकार, राजनेताओं का नियंत्रणों को जारी रखने में निहित स्वार्थ होता है जो न केवल उन्हें समृद्ध करते हैं, बल्कि उन्हें संरक्षण वितरित करने और बेहतर उद्यमियों से प्रतिस्पर्धा को ख़त्म करने की शक्ति देते हैं, लेकिन राजनेताओं तक उनकी पहुँच नहीं होती है।
4. इससे "माफ़िया राज" का उदय हुआ है, एक गठजोड़ जिसमें राजनेता, अधिकारी, अपराधी और व्यवसायी और उनके (अक्सर ग़रीब और आश्रित) 'धावक' और फ़िक्सर एक दूसरे की सुरक्षा में एक साथ बंधे होते हैं (हैरिस-व्हाइट 2019, मार्टिन और मिचेलुट्टी 2017)। कई राजनेता अनेक अवैध गतिविधियों में शामिल हैं,

लेकिन वे फलते-फूलते हैं, क्योंकि क़ानून लागू करनेवाली एजेंसी या तो कमज़ोर है, या उनके साथ उसकी मिलीभगत है।

5. यू.पी. की नौकरशाही ने राजनैतिक आक़ाओं के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, वे राजनेताओं के पक्ष में हैं, बड़े पदों और भत्तों के लिए जॉकी कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में, वे राजनैतिक संस्कृति का हिस्सा बन गए हैं जो संरक्षण आधारित है, जिसमें राजनेता निजी लाभ बढ़ाने और विकास योजनाओं को बहुत कम प्राथमिकता के साथ व्यक्तिगत राजनैतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए ब्यूरोक्रेसी का लाभ उठाते हैं।
6. यू.पी. में चुनावी राजनीति जाति और सांप्रदायिक विभाजन पर ज़ोर देती है। मतदाताओं ने भी चुनावी वादों को पूरा करने की उम्मीद करना छोड़ दिया है। न तो राजनेताओं और न ही नौकरशाही की प्रणालीगत विकास संबंधी मुद्दों में कोई दिलचस्पी है, जिसके लिए दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता होती है। वरिष्ठ नौकरशाहों का कार्यकाल बहुत छोटा होता है, जो ज़्यादातर महत्वपूर्ण राजनेताओं को ख़ुश रखने में व्यस्त रहते हैं। वे काग़ज़ पर अपने विकास लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, फ़र्ज़ी और ग़लत रिपोर्टिंग का सहारा लेते हैं, और अपनी विफलताओं के निष्ठापूर्ण मूल्यांकन को हतोत्साहित करते हैं। नरेगा, पी.डी.एस., आई.सी.डी.एस., और प्रारंभिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर प्रदर्शन भारत के सभी राज्यों की तुलना में यू.पी. में सबसे ख़राब है।
7. यू.पी. की वित्तीय समस्याएँ भी गंभीर हैं, जो टैक्स की त्रुटिपूर्ण वसूली, अस्थिर उधारी और केंद्रीय धन और परियोजनाओं को आकर्षित करने में असमर्थता के कारण उत्पन्न होती हैं। यू.पी. में प्रति व्यक्ति ख़र्च देश में सबसे कम है।
8. यू.पी. में न केवल नौकरशाही बेकार है, बल्कि पंचायतें भी भ्रष्ट हैं, और जनता की भागीदारी और सशक्तीकरण को बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे स्वशासन की संस्थाओं के रूप में नहीं, बल्कि राज्य सरकार/भारत सरकार के कुछ कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने वाली एजेंसियों के रूप में कार्य करते हैं। ग्राम पंचायत नेता पद के चुनाव प्रचार में पाँच लाख रुपये से ज़्यादा ख़र्च हो जाता है, लेकिन इस निवेश का क़रीब 10 गुना सरकारी योजनाओं में लीकेज के द्वारा विजेता आसानी से वसूल कर लेता है।

उपसंहार

संक्षेप में, यह दिखाने के लिए पर्याप्त सुबूत हैं कि यू.पी. में ग़रीबों और कमज़ोर वर्गों के लिए बुनियादी सार्वजनिक सेवाएँ और कार्यक्रम अप्रभावी रूप से काम करते हैं (विश्व बैंक 2006; प्रिटचेट 2009)। इसका कारण संरक्षण-केंद्रित राजनीति, स्थानीय नौकरशाही की कम क्षमता - राज्य और ज़िला दोनों स्तरों पर – ख़राब जवाबदेही, प्रदर्शन के मूल्यांकन का न होना, ग़रीबों के लिए काम करने की प्रेरणा की कमी, प्रोत्साहन की एक प्रणाली का न होना और जुर्माने, रिपोर्टिंग की अविश्वसनीय प्रणाली, सुरक्षा-नेट कार्यक्रमों की ख़राब डिज़ाइन, लाइन कर्मचारियों की कमी और उनकी अनुपस्थिति तथा भ्रष्टाचार के कारण बड़े पैमाने पर रिसाव है (सक्सेना-2019)। नतीजा यह निकला कि ग़रीब अशक्त होते हैं और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल नहीं होते हैं। यू.पी. में विकास के अधिकांश प्रयास आपूर्ति-संचालित हैं, ऊपर-नीचे हैं, इसमें लोग शामिल नहीं हैं, पारदर्शी नहीं हैं और इसलिए रिसाव से भरे हुए हैं और टिकाऊ नहीं हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाली सभी बुराइयों का भी प्रतीक है - भ्रष्टाचार,

अपराधीकरण, ग्राहकवाद और संरक्षण। यह स्थिति एक लोकप्रिय और भयानक शब्द - ग़ुंडा राज में समाहित है। (वर्नियर्स-2013)

यू.पी. में संरक्षण व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, न कि स्थापित संस्थानों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए बाध्य किया जाता है। जहाँ सत्ता अत्यधिक व्यक्तिगत और कमज़ोर रूप से संस्थागत होती है, निर्णय लेने की प्रक्रिया को मनमाने और परदे के पीछे के लेनदेन से बदल दिया जाता है। ऐसे वातावरण में, अपने ग्राहकों के लिए शक्ति का प्रयोग नियमों की धोखाधड़ी, भ्रष्ट सिविल सेवकों पर निर्भरता, सरकारी ख़ज़ाने की लूट और शासन के पतन की माँग करता है। जब बाड़ खेत को खाने लगती है, तो ग़रीबों तक विकास की संभावना बहुत कम होती है।

निश्चित तौर पर यू.पी. अकेला ऐसा राज्य नहीं है जहाँ अपराध और भ्रष्टाचार पनप रहा है। लेकिन यह राजनीति, व्यापार और अपराध के बीच गठजोड़ की तीव्रता है जो माफ़िया प्रभुत्व की ओर ले जाती है जो यू.पी. को अन्य सभी पिछड़े राज्यों में शीर्ष पर रखती है।

शासन सुधार एक 'कपटतंत्र' के तहत बहुत कठिन है जो अपने स्वयं के लाभ के लिए राष्ट्रीय धन का शोषण करता है और परिभाषा के अनुसार, पारदर्शिता और जवाबदेही में जिसे कोई दिलचस्पी नहीं है। एक लचीली और अकुशल सिविल सेवा वास्तव में इसके दृष्टिकोण से वांछनीय है - शासन की विवेकाधीन उदारता पर निर्भर सार्वजनिक कर्मचारियों को भ्रष्ट होने के लिए मजबूर किया जाता है, वे अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए न चाहते हुए भी शासन के सहयोगी बन जाते हैं। ऐसे राज्यों को उनके कार्य-प्रदर्शन और सुधारों से जोड़े बिना उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना संसाधनों की बर्बादी होगी। यू.पी. को परिणामों में सुधार के लिए मीडिया और नागरिक समाज के बाहरी दबाव की ज़रूरत है।

2. उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति

परिचय

भारत में मुसलमान सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं। आम तौर पर मुसलमानों की सापेक्ष सामाजिक-आर्थिक स्थिति हिंदुओं की तुलना में क़ाफ़ी कम मानी जाती है। वे तरह-तरह के अभावों से ग्रसित हैं। जैसा कि सच्चर समिति ने आकलन किया है: **"....** जबकि राज्यों में मुसलमानों की स्थितियों में काफी भिन्नता है, (और मुसलमानों में, जिन्होंने ख़ुद को ओ.बी.सी. और अन्य के रूप में पहचाना), यह समुदाय विकास के व्यावहारिक रूप से सभी आयामों में कमी और अभाव प्रदर्शित करता है। वास्तव में, कुल मिलाकर, मुसलमानों का स्थान एस.सी./एस.टी. से कुछ ऊपर है, लेकिन हिंदू-ओ.बी.सी., अन्य अल्पसंख्यकों और हिंदू-जनरल (ज़्यादातर ऊँची जातियों) से नीचे लगभग सभी संकेतकों पर विचार किया जाता है।" (सच्चर समिति की रिपोर्ट 2006, पृष्ठ 237)।

ऐतिहासिक संदर्भ

मुसलमानों की वर्तमान परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए हमें ऐतिहासिक संदर्भ को ध्यान में रखना होगा। यहाँ यह बताना प्रासंगिक है कि अधिकांश भारतीय मुस्लिम, जो मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा हैं, मूल रूप से हिंदू समाज के निचले वर्ग के हैं जो आर्थिक रूप से ग़रीब और सामाजिक रूप से दबे हुए थे। सेना और दरबार में ज़्यादातर पद सैयद, शैख़ और पठानों के पास थे जो बाहर से आए थे और 'अशराफ़' वर्ग के थे। 1931 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में 15 प्रतिशत मुसलमान थे, उनमें से 6.1 सैयद, शैख़ और पठान समूहों के थे, जबकि **9** प्रतिशत अधिकांश पसमांदा समूह के थे (सिंह, 2002)। मुसलमानों के शिक्षित वर्ग और उनके समुदाय के बड़े हिस्से के बीच एक व्यापक अंतर बना रहा (अज़रा ख़ानम, 2006 पी.; इम्तियाज़ अहमद, 2007)।

अंग्रेज़ों द्वारा सत्ता से बेदख़ल किए जाने से पहले मुसलमानों ने आठ सौ वर्षों तक भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया था। अंतिम झटका 1857 में लगा जब सम्राट बहादुर शाह ज़फ़र को उनके सिंहासन से हटा दिया गया और रंगून में क़ैद कर दिया गया। सत्ता से बेदख़ली ने मुसलमानों में अपमान और शोक की व्यापक भावना पैदा की और उनके जीवन के सभी क्षेत्रों में गंभीर आघात पहुँचाया (बेल्कसेम, 2007)। मुग़ल बादशाह और बंगाल तथा अवध के नवाबों की सेना में बड़ी संख्या में मुस्लिम सैनिकों के अपनी नौकरी खोने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई (अज़रा ख़ानम, 2006)। ब्रिटिश क़ानूनी व्यवस्था की शुरुआत के साथ, अंग्रेज़ों ने मुस्लिम न्यायाधीशों को विस्थापित कर दिया। अंग्रेज़ों ने 1857 के 'विद्रोह' में मुसलमानों को मुख्य भूमिका निभाने वालों के रूप में रखा और जानबूझकर मुसलमानों के प्रति उपेक्षा की नीति अपनाई। परिणामस्वरूप, '1857 के विद्रोह' के बाद के दशकों में सरकारी सेवा में मुसलमानों की संख्या में तेज़ी से कमी आई (बेल्कसेम, 2007; हंटर, 1986)। सरकारी कार्यों में फ़ारसी के स्थान पर अंग्रेज़ी द्वारा प्रतिस्थापित करने से मुसलमानों पर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश वस्तुओं के आयात को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेज़ों की व्यवस्थित नीति ने कपड़े तथा अन्य शिल्प में लगे मुसलमानों की बड़ी संख्या पर विनाशकारी प्रभाव डाला। फिर भी, 1880 के दशक के दौरान प्रांत में सभी कार्यकारी और न्यायिक पदों के 45% से अधिक का क़ब्जा मुसलमानों के पास था (अज़रा ख़ानम 2006)।

बाद में अंग्रेज़ों ने स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। हंटर आयोग को समुदाय की सामाजिक स्थिति को देखने और उसके सुधार के लिए सिफ़ारिशें करने के लिए नियुक्त किया गया था। जैसा कि इम्तियाज़ अहमद बताते हैं: "हंटर आयोग का अंतर्निहित आधार यह था कि ब्रिटिश सरकार की प्रतिकूल नीतियों का आरंभ स्थायी समझौते से हुआ, शिक्षा और प्रशासन का माध्यम फ़ारसी से अंग्रेज़ी में परिवर्तित हो गया और ब्रिटिश वस्तुओं के आयात के समर्थन की ब्रिटिश नीति के परिणामस्वरूप देसी उद्योग की आभासी तबाही ने मुसलमानों की सामाजिक स्थिति को बड़ा आघात पहुँचाया।" (इम्तियाज़ अहमद 2007, पृष्ठ 3703)।

यू.पी. में मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति

2011 की जनगणना के अनुसार यू.पी. में मुसलमानों की आबादी 38.48 मिलियन थी। भारत में 14.23 प्रतिशत के आंकड़े के मुक़ाबले उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में मुसलमान 19.25 प्रतिशत हैं। भारत में 22.34 प्रतिशत मुसलमान यू.पी. में रहते हैं। भारत में केवल 22.27 प्रतिशत की तुलना में राज्य में 37.24 प्रतिशत मुसलमान ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में 21 अल्पसंख्यक बहुल ज़िलों की पहचान की है जो साक्षरता और कार्य भागीदारी दर और सुरक्षित पेयजल, बिजली और शौचालय सुविधा की उपलब्धता के मामले में अपेक्षाकृत पिछड़े हैं। इनमें से 14 ज़िले राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं: बाग़पत, बदायूँ, बरेली, बिजनौर, बुलंदशहर, ग़ाज़ियाबाद, जेपी नगर, मेरठ, मुरादाबाद, मुज़फ़्फ़रनगर, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर और शाहजहाँपुर। इनमें से चार ज़िले मध्य क्षेत्र में हैं: बाराबंकी, लखनऊ और लखीमपुर खीरी। शेष चार ज़िले नेपाल सीमा पर पूर्वी क्षेत्र में आते हैं: बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर।

शुरू से ही इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की स्थिति भारत से भी बदतर है (रवि श्रीवास्तव, 2012)। इस प्रकार, एन.एस.एस. 2009-10 के अनुसार मुस्लिम परिवारों में मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय यू.पी. में 752 रुपये था, जबकि पूरे भारत में यह 988 रुपये था। सभी सामाजिक समूहों की तुलना में मुसलमानों के लिए ग़रीबी अनुपात अधिक है। राष्ट्रीय औसत 58.3 प्रतिशत की तुलना में उत्तर प्रदेश में 15 वर्ष से अधिक आयु के 71.2 प्रतिशत मुसलमान निरक्षर या प्राथमिक स्तर से नीचे शिक्षित थे। उत्तर प्रदेश में नियमित मज़दूरी/वेतन रोज़गार का अनुपात भारत (31.6 प्रतिशत) की तुलना में कम (25.6 प्रतिशत) है। सेवा क्षेत्र में श्रमिकों का अनुपात भी भारत (32.2 प्रतिशत) की तुलना में उत्तर प्रदेश (27.3 प्रतिशत) में कम है। इस प्रकार, यू.पी. में मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा भारत की तुलना में कम नियमित और कम आय वाले व्यवसायों में लगा हुआ है।

जहाँ तक उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की स्थिति का सवाल है, वे सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रमुख संकेतकों के मामले में ज़्यादातर सबसे नीचे हैं। वर्तमान लेखक द्वारा 2000 में पश्चिमी यू.पी. के पाँच ज़िलों के ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया कि सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रमुख संकेतकों में मुसलमानों को सभी सामाजिक समूहों में सबसे निचले तीन रैंकों में स्थान दिया गया है। विकास के संयुक्त सूचकांक में मुसलमानों को अनुसूचित जातियों के साथ 10 वाँ स्थान दिया गया जो अन्य पिछड़ी जातियों से नीचे है (सिंह, 2003, पृष्ठ 63)।

मुस्लिम आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ओ.बी.सी. जाति का है। कई अध्ययनों से पता चला है कि उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है (कुमार तथा अन्य, 2020; ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड वेलफ़ेयर सोसाइटी)।

जनसांख्यिकीय विशेषताएँ

2007-08 के सर्वेक्षण से पता चला कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुस्लिम परिवारों का औसत आकार 6.6 था हिंदू परिवारों में यह 5.9 था (सिंह, 2009)। सर्वेक्षण से यह भी पता चला कि लगभग तीन चौथाई मुस्लिम परिवारों में 5 से अधिक सदस्य थे। हिंदू परिवारों के मामले में यह अनुपात तुलनात्मक रूप से 52 प्रतिशत कम था। कम से कम 45.5 प्रतिशत मुस्लिम परिवार के सदस्य 15 वर्ष से कम आयु के थे। 2014-15 के सर्वेक्षण के अनुसार 15 साल से कम उम्र के परिवार के सदस्यों का अनुपात मुसलमानों में 38.50 प्रतिशत और हिंदुओं में 34.10 प्रतिशत था। महिलाओं के लिए विवाह की औसत आयु मुसलमानों में 34.50 और हिंदुओं में 39.2 थी।

मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर हिंदू महिलाओं की तुलना में अधिक है। हालाँकि, समय के साथ दोनों समुदायों की प्रजनन क्षमता कम होती जा रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-II के अनुसार 1998-99 में मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर 4.76 और हिंदू महिलाओं में 3.87 थी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-IV के अनुसार 2015-16 तक यह घटकर क्रमश: 3.1 और 2.7 हो गई।

कार्य भागीदारी दर

यू.पी. में काम में भागीदारी की दर आम तौर पर कम है, मुस्लिम परिवारों में यह और भी कम है। 2007-08 के अध्ययन में ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदू परिवारों में 29.4 प्रतिशत की तुलना में मुस्लिम परिवारों में केवल 27.6 प्रतिशत परिवार के सदस्य कार्यबल में पाए गए। 2014-15 के अध्ययन में काम में भागीदारी दर (5 साल से ऊपर की आबादी) को मुसलमानों में 34.10 प्रतिशत और हिंदुओं में 33.82 प्रतिशत पर रिपोर्ट किया गया था। पुरुषों की भागीदारी दर 59.70 प्रतिशत थी और महिला कार्य भागीदारी दर मुसलमानों में 7.20 प्रतिशत थी, जबकि हिंदू परिवारों के आंकड़े 58.93 प्रतिशत और 6.52 प्रतिशत थे (कुमार तथा अन्य, 2020, पृष्ठ 89)। बाल श्रम (5-14 आयु वर्ग) की घटनाएँ मुसलमानों (6.10 प्रतिशत) के मामले में हिंदुओं (4.20 प्रतिशत) की तुलना में अधिक थीं, जो पारिवारिक आय के पूरक के लिए अधिक आर्थिक दबाव का संकेत देती हैं।

पी.एल.एफ़.एस. 2019-20 के अनुसार सभी समूहों के लिए 31.74 प्रतिशत के आंकड़े के मुक़ाबले मुसलमानों के लिए कार्य भागीदारी दर (डब्ल्यू.पी.आर.) 29.04 प्रतिशत थी (तालिका 1)। शहरी क्षेत्रों में डब्ल्यू.पी.आर. ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा कम था। मुसलमानों के लिए बेरोज़गारी दर ग्रामीण क्षेत्रों में 5.08 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 7.25 प्रतिशत थी। मुसलमानों के लिए ग्रामीण बेरोज़गारी दर अन्य सामाजिक समूहों की तुलना में तुलनात्मक रूप से अधिक थी। लेकिन शहरी क्षेत्रों में मुसलमानों में बेरोज़गारी दर कम थी। ये आंकड़े विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए काम के कम अवसरों का संकेत देते हैं।

Table 1: LFPR/WPR by Social Groups in Uttar Pradesh, 2019-20

LFPR/WPR	ST	SC	OBC	Others	Muslims	Total
Total UP						
LFPR	29.80	34.18	34.09	31.90	30.86	33.23
WPR	29.12	32.78	32.91	29.69	29.04	31.74
Unemployment Rate	2.28	4.09	3.46	6.96	5.92	4.48
Rural U.P.						
LFPR	30.51	34.03	33.76	31.07	30.65	33.10
WPR	29.81	32.95	32.86	29.86	29.10	32.03
Unemployment Rate	2.27	3.18	2.67	3.89	5.08	3.23
Urban U.P.						
LFPR	25.49	35.27	35.76	33.20	31.2	33.70
WPR	24.88	31.63	33.14	29.42	28.94	30.75
Unemployment Rate	2.4	10.32	7.33	11.40	7.25	8.78

Source: PLFS 2019-20

रोज़गार का पैटर्न

तालिका 2 मुसलमानों सहित विभिन्न सामाजिक समूहों की रोज़गार संरचना में परिवर्तन को दर्शाती है। एन.एस.एस. सर्वेक्षण के अनुसार 1993-94 में 44.7 प्रतिशत मुस्लिम श्रमिक कृषि में लगे हुए थे। 2009-10 तक कृषि में मुस्लिम श्रमिकों की हिस्सेदारी घटकर 36.5 प्रतिशत हो गई थी। अन्य सभी सामाजिक समूहों की तुलना में मुसलमानों के लिए कृषि में लगे श्रमिकों का अनुपात काफ़ी कम है। हालाँकि, अन्य सामाजिक समूहों के मामले में गिरावट तेज़ थी। अन्य सामाजिक समूहों के मामले में दसवें हिस्से से कम श्रमिकों की तुलना में लगभग एक-चौथाई मुस्लिम श्रमिक खनन एवं निर्माण-कार्य में लगे हुए हैं। हालाँकि, समय के साथ परिवर्तन को चिह्नित नहीं किया गया है। निर्माण श्रमिक इस अवधि के दौरान रोज़गार में अपने हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाते हैं। सेवा क्षेत्र में मुस्लिम श्रमिकों की हिस्सेदारी अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के श्रमिकों की तुलना में मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण रूप से अधिक है, लेकिन अन्य श्रमिकों की तुलना में कम है। परन्तु 1999-2000 के बाद से सेवाओं में मुसलमानों की हिस्सेदारी में गिरावट आई है।

Table 2: Percentage Distribution of Workers by Sectors Across Social Groups

Sector	Year	SC/ST	OBC	Others	Muslims	Total
Agriculture	**1993-94**	**76.4**	**71.3**	**-**	**44.7**	**68.5**
	1999-00	**68.4**	**72.5**	**55.2**	**39.5**	**62.6**
	2004-05	**65.2**	**70.3**	**53.4**	**35.6**	**60.5**
	2009-10	**51.4**	**65.5**	**52.3**	**36.5**	**55.4**
Mining and Manufacturing	**1993-94**	**7.8**	**9.0**	**-**	**24.8**	**11.0**
	1999-00	**9.9**	**8.6**	**9.4**	**25.0**	**11.7**
	2004-05	**9.6**	**9.5**	**10.6**	**29.7**	**13.0**
	2009-10	**8.8**	**8.6**	**8.3**	**26.2**	**11.2**
Construction	**1993-94**	**3.9**	**11.0**	**-**	**3.7**	**2.2**
	1999-00	**6.5**	**2.8**	**1.2**	**5.1**	**3.8**
	2004-05	**11.2**	**4.5**	**1.3**	**5.0**	**5.8**
	2009-10	**24.8**	**8.4**	**3.2**	**10.3**	**12.0**
Services	**1993-94**	**11.5**	**18.7**	**-**	**26.8**	**18.2**
	1999-00	**15.2**	**16.1**	**34.1**	**30.3**	**21.9**
	2004-05	**14.1**	**15.6**	**34.8**	**29.7**	**20.7**
	2009-10	**14.9**	**17.6**	**36.3**	**27.0**	**21.5**

Source: Based on NSS unit level data taken from Ravi Srivastava 2012.

तालिका **3** गतिविधि के प्रकार और सामाजिक समूहों द्वारा श्रमिकों के वितरण को दर्शाती है। 1993-94 में लगभग 75 प्रतिशत मुस्लिम श्रमिक स्वरोज़गार में थे। 2009-20 में यह अनुपात घटकर 65 प्रतिशत रह गया है। अन्य सामाजिक समूहों की तुलना में मुसलमानों के लिए गिरावट तेज़ थी। लगभग 10 प्रतिशत मुस्लिम श्रमिक नियमित मज़दूरी/वेतन कर्मी हैं। समय के साथ अनुपात कमोबेश अपरिवर्तित रहा है। कैज़ुअल कामगारों का अनुपात 1993-94 में 17.4 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 में 25.5 प्रतिशत हो गया है। स्व-रोज़गार से आकस्मिक श्रमिकों के लिए कार्यबल का स्थानांतरण मुस्लिम आबादी के हाशिए पर जाने का संकेत है।

तालिका 3: सामाजिक समूहों और गतिविधि के प्रकार द्वारा श्रमिकों का प्रतिशत वितरण

Type of Activity	Year	SC	OBC	Others	Muslim	Total
Self Employed	1993-94	49.5	76.0	-	74.5	71.1
	1999-00	50.8	77.9	73.4	70.6	68.7
	2004-05	59.8	80.1	73.5	74.5	73.1
	2009-10	47.6	74.9	73.3	65.3	66.3
Regular Wage/Salary	1993-94	5.1	9.8	-	8.1	8.5
	1999-00	7.0	7.3	21.8	10.3	10.8
	2004-05	5.9	7.7	23.3	9.9	10.0
	2009-10	6.7	7.1	21.7	9.2	9.7
Casual	1993-94	45.4	10.6	-	17.4	20.4
	1999-00	42.2	14.8	4.8	19.1	20.5
	2004-05	34.2	12.2	3.2	15.6	16.9
	2009-10	45.7	18.1	5.0	25.5	24.0

स्रोत: रवि श्रीवास्तव 2012 से लिए गए एन.एस.एस. इकाई स्तर के आंकड़ों के आधार पर।

तालिका 4 पी.एल.एफ़.एस. 2019-20 के अनुसार विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए रोज़गार के प्रकार के आधार पर प्रमुख गतिविधि की स्थिति दिखाती है। अन्य सभी सामाजिक समूहों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में स्व-नियोजित श्रमिकों का अनुपात मुसलमानों में बहुत कम (32.6 प्रतिशत) था। हालाँकि, ग़ैर-कृषि श्रेणी में स्वरोज़गार के मामले में मुसलमानों की हिस्सेदारी बहुत अधिक (25.8 प्रतिशत) थी। अन्य को छोड़कर अन्य सामाजिक समूहों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित मज़दूरी/वेतन कमाने वालों का अनुपात मुसलमानों में अधिक था। मुसलमानों में 23.8 प्रतिशत श्रमिक नैमित्तिक श्रम के रूप में लगे हुए थे। यह अनुपात ओ.बी.सी. और अन्य के लिए बहुत कम था लेकिन एस.टी. और एस.सी. के लिए अधिक था।

शहरी क्षेत्रों में मुसलमानों में से लगभग आधे श्रमिक स्व-रोज़गार से जुड़े थे। मुसलमानों में 30.4 प्रतिशत शहरी श्रमिक नियमित मज़दूरी/वेतन कमाने वाले के रूप में काम कर रहे थे। यह अनुपात सभी सामाजिक समूहों के लिए सबसे कम था। लगभग 15 प्रतिशत शहरी मुसलमान अनौपचारिक कर्मचारी थे। यह अनुपात केवल अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के मामले में अधिक था। इस प्रकार, हम पाते हैं कि मुसलमानों के लिए रोज़गार की प्रकृति अपेक्षाकृत अधिक अनिश्चित थी, क्योंकि उनमें से अधिकांश स्वरोज़गार से जुड़े या अनौपचारिक श्रमिक थे।

Table 4: Household Principal Activity Status by Social Groups, 2019-20 (%)

Principal Activity	ST	SC	OBC	Others	Muslims	Total
Rural UP						
Self-employed in Agriculture	54.92	36.45	62.06	65.18	32.60	51.28
Self-employed in Non-Agriculture	4.30	12.77	12.36	10.77	25.81	13.96
Regular wage/salary earning	3.54	8.93	7.09	12.22	9.17	8.44
Casual Labour in Agriculture	5.56	9.90	3.24	0.99	5.24	5.15
Casual Labour in Non- Agriculture	27.79	26.86	10.52	1.95	18.56	15.36
Others	3.89	5.09	4.72	8.89	8.61	5.8
Total	100.0	100.0	100.0	100	100	100
Urban UP						
Self-employed	28.46	29.1	49.85	40.93	48.81	44.21
Regular wage/salary earning	44.51	42.12	34.62	45.40	30.44	37.37
Casual labour	12.64	22.96	9.36	4.22	14.58	11.40
Others	14.40	5.82	6.17	9.45	6.18	7.02
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Source: Calculated from unit level data of PLFS 2019-20

श्रमिकों के औद्योगिक श्रेणीवार वितरण से पता चलता है कि 2019-20 में सभी समूहों के लिए 49 प्रतिशत के औसत के मुक़ाबले 15-59 आयु वर्ग के 29 प्रतिशत से कुछ कम मुस्लिम श्रमिक कृषि में लगे थे (तालिका 5)। विनिर्माण में उनकी हिस्सेदारी सभी समूहों (11.1 प्रतिशत) की तुलना में बहुत अधिक (24.2 प्रतिशत) थी। मुसलमानों का एक

बड़ा हिस्सा थोक और खुदरा व्यापार में लगा हुआ है। निर्माण, परिवहन और भंडारण और अन्य सेवाओं में मुस्लिम श्रमिकों का अनुपात लगभग सभी समूहों के औसत के बराबर था।

Table 5: Per Cent Distribution of Workers Across Industry 2019-20 (Age 15-59)

Industrial Category	ST	SC	OBC	Others	Muslims	Total
Agriculture	49.25	47.77	58.71	41.49	28.59	48.83
Mining and Quarrying	0.0	0.1	0.05	0.28	0.0	0.08
Manufacturing	3.7	8.93	8.49	9.57	24.24	11.13
Electricity, Gas, etc.	0.64	0.54	0.17	0.6	0.19	0.33
Construction	21.65	26.34	10.39	2.97	15.61	14.5
Wholesale and Retail Trade	15.95	6.86	11.45	20.01	17.03	12.27
Transport and Storage	2.25	2.57	3.56	4.49	4.7	3.59
Other Services	6.56	6.9	7.17	20.59	9.63	9.28
Total	100	100	100	100	100	100

Source: PLFS 2019-20.

सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व

सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व किसी समुदाय की स्थिति का निर्धारण करने वाला एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह एक समर्थन आधार भी देता है और लोगों को आवाज़ भी प्रदान करता है। यह सर्वविदित है कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम है, और इसका कारण उनका शैक्षिक पिछड़ापन तथा रोज़गार के संबंध में उनके साथ अघोषित भेदभाव की नीति है। यू.पी. सरकार द्वारा गठित सामाजिक न्याय समिति 2001 ने राज्य सरकार की नौकरियों में ओ.बी.सी. की हिस्सेदारी पर डेटा एकत्र किया। उनके निष्कर्षों का सार तालिका 6 में दिया गया है। तालिका से यह स्पष्ट होगा कि सरकारी नौकरियों में ओ.बी.सी. मुसलमानों की हिस्सेदारी ओ.बी.सी. आबादी में उनके हिस्से से काफ़ी कम है। दूसरी ओर, ग़ैर-मुस्लिम ओ.बी.सी. जातियों का सरकारी सेवाओं में अधिक प्रतिनिधित्व है। यह सर्वविदित है कि आरक्षण का लाभ बड़े पैमाने पर यादव, कुर्मी और जाट जैसी ओ.बी.सी. जातियों द्वारा लिया गया है जो बेहतर शिक्षित और आर्थिक रूप से बेहतर हैं।

Table 6: Share of OBC Muslims in State Government Jobs (%)

Caste Group	Share in OBC Population	Class A	Class B	Class C	Class D
Exclusively Muslim OBC Castes	**10.08**	**5.76**	**3.98**	**1.73**	**5.75**
Predominantly Muslim OBC Castes	**7.6**	**3.13**	**2.47**	**5.56**	**6.89**
Partly Muslim OBC Castes	**16.84**	**10.2**	**10.71**	**9.05**	**13.81**
Non-Muslim OBC Castes	**65.48**	**80.92**	**82.83**	**82.55**	**73.55**

Source: Based on the Report of the Committee on Social Justice 2001 taken from Kumar 2020, Ch. 4.

अध्ययन में यह भी बताया गया है कि 2015 में यू.पी.पी.एस.सी. ने 521 उम्मीदवारों का चयन किया था, जिनमें से केवल 19 (3.65 प्रतिशत) मुस्लिम थे। इसी तरह, 2013 में चयनित 1545 उम्मीदवारों में से अधीनस्थ सेवाओं के मामले में केवल 31 (2.01 प्रतिशत) मुस्लिम थे (कुमार तथा अन्य 2020, पृष्ठ 83)। विश्वविद्यालय के शिक्षकों के मामले में भी यही कहानी दोहराई जाती है। इस प्रकार, राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत 1834 विश्वविद्यालय शिक्षकों में से केवल **57** (3.11 प्रतिशत) मुस्लिम थे (कुमार तथा अन्य, 2002, पृष्ठ 82)। यू.पी. उच्च शिक्षा आयोग द्वारा चयनित **727** सहायक प्रोफ़ेसरों में से 149 पद ओ.बी.सी. के लिए आरक्षित थे। इन पदों के लिए केवल 4.69 प्रतिशत मुसलमानों का चयन किया गया था।

प्रवासन पैटर्न

2009-08 के सर्वेक्षण से पता चला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदू परिवारों के 7.5 प्रतिशत सदस्य और मुस्लिम परिवारों के 8.9 प्रतिशत सदस्य रोज़गार की तलाश में अन्य स्थानों पर चले गए हैं। दोनों समुदायों में 98 प्रतिशत से अधिक प्रवासी श्रमिक पुरुष थे। प्रवासियों की आयु प्रोफ़ाइल कमोबेश दो समुदायों के लिए समान थी। लगभग एक-चौथाई प्रवासी 20 साल से कम उम्र के थे। लगभग 60 प्रतिशत प्रवासी 20 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के थे। लगभग एक छठा हिस्सा प्रवासी 40 वर्ष से अधिक आयु के थे। दोनों समुदायों के चार-पाँचवें प्रवासी श्रमिक कृषि श्रम में लगे हुए थे। लगभग 4.6 प्रतिशत हिंदू प्रवासी और 6.5 प्रतिशत मुस्लिम प्रवासी ग़ैर-कृषि शारीरिक श्रम में लगे हुए थे। लगभग 10 प्रतिशत प्रवासी पेशेवर, लिपिक, बिक्री या व्यावसायिक व्यवसायों में लगे हुए थे।

प्रवास का बड़ा हिस्सा ज़िले के आन्तरिक स्थानों पर था। यह अनुपात हिंदुओं में 64 प्रतिशत और मुसलमानों में 49 प्रतिशत था। लगभग 10 प्रतिशत प्रवास ज़िले के बाहर लेकिन राज्य के भीतर था। अन्य राज्यों में प्रवास करने वाले मुस्लिम श्रमिकों का अनुपात हिंदुओं (लगभग 25 प्रतिशत) की तुलना में अधिक (लगभग 40%) था। इस प्रवास का अधिकांश भाग अन्य राज्यों के नागरिक क्षेत्रों में था। एक बड़ा बहुमत (51.4% हिंदू और 41.9% मुस्लिम प्रवासी) प्रतिदिन रोज़गार के लिए एक ही ज़िले के आन्तरिक स्थानों पर आ रहे हैं। प्रवासियों में से लगभग एक चौथाई दीर्घकालिक प्रवासी थे। हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों में अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रवासियों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक था।

1914-15 के सर्वेक्षण के अनुसार मौसमी प्रवास कम था - हिंदुओं में 2.31 और मुसलमानों में 2.60 प्रतिशत (कुमार तथा अन्य, 2002, पी.पी.130-135) मौसमी प्रवासन ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक था, 2.73 प्रतिशत हिंदुओं के लिए और 3.20 प्रतिशत मुसलमानों के लिए। मध्य क्षेत्र से प्रवासन अधिक था और उसके बाद पूर्वी क्षेत्र। ये आंकड़े बताते हैं कि रोज़गार की तलाश में पलायन करने के लिए मुसलमानों पर अधिक आर्थिक दबाव है।

भूमि और संपत्ति का स्वामित्व

भूमि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इस मामले में मुसलमान हिंदू समुदाय से भी बदतर स्थिति में हैं। 2007-08 के सर्वेक्षण के अनुसार 29.38 प्रतिशत हिंदू परिवारों के मुक़ाबले 46.41 प्रतिशत मुस्लिम परिवार भूमिहीन थे। 2007-08 के सर्वेक्षण के अनुसार हिंदू परिवारों (1.95 एकड़) की तुलना में मुस्लिम परिवारों की औसत भूमि जोत भी बहुत कम (1.53 एकड़) थी। लगभग 34 प्रतिशत हिंदू परिवारों और 30.6 प्रतिशत मुस्लिम परिवारों के पास एक एकड़ से कम भूमि है (तालिका 7)। लगभग 4 प्रतिशत हिंदू परिवारों के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि थी। मुसलमानों के लिए यह आंकड़ा 2.1 प्रतिशत ही था।

2014-15 के अध्ययन के अनुसार केवल 48.05 प्रतिशत मुस्लिम परिवारों की तुलना में 25.83 प्रतिशत हिंदू परिवार भूमिहीन थे (तालिका 7)। स्वामित्व वाली भूमि का आकार भी मुस्लिम परिवारों (2.03 एकड़) के लिए हिंदू परिवारों (2.63 एकड़) की तुलना में कम था। ऐसे 4.84 हिंदू परिवारों के मुक़ाबले केवल 1.70 प्रतिशत मुस्लिम परिवारों के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि थी।

Table 7: Per Cent Distribution of Households by Size of Landholding

Land Size Category	2007-08			2014-15		
	Hindu	Muslim	Total	Hindu	Muslim	Total
Landless	**29.38**	**46.41**	**34.26**	**25.83**	**48.05**	**36.94**
Below 1.0	**33.92**	**30.55**	**32.4**	**59.47**	**83.40**	**67.76**
1.00 to 5.0	**62.11**	**36.18**	**54.93**	**35.67**	**16.40**	**28.08**
5.00 to 7.50	**2.12**	**1.21**	**1.95**	**2.97**	**0.90**	**2.24**
7.50 to 10.00	**1.95**	**0.90**	**2.14**	**1.87**	**0.80**	**1.34**
Average Size of Land Owned in Acres	**1.95**	**1.53**	**1.96**	**2.63**	**2.03**	**2.33**

Source: Singh 2009 and Kumar et al., 2002, p. 153.

ग्रामीण परिवारों के लिए आय का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत पशुधन है। यहाँ फिर से हम पाते हैं कि हिंदू परिवारों की तुलना में मुस्लिम परिवारों की स्थिति बदतर है (तालिका 8)। 2007-08 के सर्वेक्षण के अनुसार हिंदू परिवारों के स्वामित्व वाले 0.8 जानवरों की तुलना में एक मुस्लिम परिवार के पास 0.5 दुधारू पशु थे। हालाँकि, हिंदू परिवारों की तुलना में मुस्लिम परिवारों में अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में बकरियाँ और मुर्ग़ियाँ हैं। 26.4 प्रतिशत हिंदू परिवारों और 33.4 प्रतिशत मुस्लिम परिवारों के पास कोई पशुधन नहीं था।

Table 8: Ownership of Livestock Per Household (Number)

Type of Livestock	Hindu	Muslim	Total
Milch Animals	**0.82**	**0.51**	**0.75**
Drought Animals	**0.31**	**0.18**	**0.27**
Young Cattle	**0.78**	**0.43**	**0.69**
Goats	**0.31**	**0.89**	**0.49**
Sheep	**0.02**	**0.02**	**0.02**
Poultry	**0.06**	**0.34**	**0.15**
Pig	**0.02**	**0.00**	**0.02**
Others	**0.01**	**0.01**	**0.01**
Total	**2.33**	**2.39**	**2.38**

Source: GIDS 2007-08 Survey.

संपत्ति का स्वामित्व घर की आर्थिक समृद्धि और ख़ुशहाली का सूचक है। तालिका **9** प्रति परिवार विभिन्न प्रकार की संपत्तियों के स्वामित्व के औसत मूल्य के आंकड़े देती है। हिंदू परिवारों के स्वामित्व वाली संपत्ति का मूल्य (42,945 रुपये) मुस्लिम परिवारों के स्वामित्व वाले (31,439 रुपये) की तुलना में काफ़ी अधिक है। संपत्ति के स्वामित्व की संरचना कमोबेश दोनों समुदायों के लिए समान है। संपत्ति का एक तिहाई से थोड़ा कम वित्तीय संपत्ति के रूप में है। भौतिक संपत्तियों में मुख्य घटक कृषि उपकरण और मशीनरी है। परिवहन उपकरण कुल संपत्ति का लगभग 14 प्रतिशत है। पारिवारिक संपत्ति हिंदू परिवारों के मामले में संपत्ति मूल्य का लगभग 12 प्रतिशत और मुस्लिम परिवारों के मामले में 14 प्रतिशत है।

Table 9: Average Value of Various Assets Owned Per Household (₹), 2007-08

Type of Assets	Hindu	Muslim	Total
Agricultural Implements & Machinery	16704	10925	17018
Transport Equipment	5708	4421	6016
Non-Agricultural Implements	2236	1632	2024
Household Assets	5023	4334	5248
Financial Assets	13274	10127	13116
Average Per Household	42945	31439	43422

Source: GIDS 2007-08 Survey.

धन संबंधी असमानता

2014-15 के सर्वेक्षण में परिवारों के स्वामित्व वाली 32 संपत्तियों पर भी डेटा एकत्र किया गया था, जिन्हें कारक विश्लेषण के आधार पर धन पंचमक के अनुसार श्रेणी बद्ध किया गया था। वितरण का पैटर्न दोनों समुदायों के लिए बहुत अलग नहीं था (तालिका 10)। इस प्रकार, दोनों समुदायों के लगभग एक-चौथाई घर धन पंचमक के अनुसार सबसे ग़रीब थे। हालाँकि, पंचमक के अनुसार सबसे अमीर लोगों में हिंदू परिवारों का अनुपात (22.10 प्रतिशत) मुस्लिम परिवारों (16.4 प्रतिशत) की तुलना में अधिक था।

Table 10: Distribution of Households by Wealth Quintiles (%)

Wealth Quintile	Hindu	Muslim
Poorest	19.27	20.45
Second	17.03	22.05
Middle	18.67	21.30
Fourth	20.37	19.20
Richest	22.10	16.40
All Households	100.00	100.00

Source: Kumar et al., 2020, Table 6.4, pp. 144-145.

शैक्षिक स्थिति

मुसलमानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बाधा उनका शैक्षिक पिछड़ापन है। एन.एस.एस. सर्वेक्षणों के आधार पर सामाजिक समूहों की शैक्षिक रूपरेखा में परिवर्तन तालिका 18 में दिया गया है। तालिका से पता चलता है कि समय के साथ मुसलमानों की शिक्षा प्राप्ति में सुधार हो रहा है, लेकिन वे अनुसूचित जाति सहित अन्य सामाजिक समूहों से पीछे हैं। 1993-94 में, सभी समूहों के लिए 65.4 प्रतिशत के आंकड़े के मुक़ाबले 15 साल से ऊपर के 79 प्रतिशत मुसलमान निरक्षर या प्राथमिक स्तर तक शिक्षित थे। 2009-10 में मुसलमानों के लिए यह अनुपात घटकर 59.5 प्रतिशत और सभी समूहों के लिए 46.2 हो गया। समय के साथ मिडिल पास का अनुपात 14.1 प्रतिशत से बढ़कर 27.2 प्रतिशत हो गया है और हाई स्कूल पास का अनुपात 4.2 प्रतिशत से बढ़कर 7.1 प्रतिशत हो गया है। विश्वविद्यालय की डिग्री वाले मुसलमानों के अनुपात में थोड़ा सुधार हुआ है लेकिन यह 2.7 प्रतिशत पर बना हुआ है।

Table 11: Educational Attainment of Population Age 15+

Education Level	Year	SC	OBC	Others	Muslim	Total
Illiterate & Below Primary	1993-94	80.8	56.8	-	79.1	65.4
	1999-00	72.9	62.4	32.7	74.7	59.2
	2004-05	67.3	54.7	24.6	68.2	54.0
	2009-10	55.8	48.3	21.6	59.5	46.2
Middle	1993-94	13.1	33.5	-	14.1	26.2
	1999-00	19.5	27.4	57.6	17.2	31.7
	2004-05	22.9	33.4	64.5	20.6	34.9
	2009-10	32.0	40.6	68.3	27.2	42.3
High School	1993-94	2.8	11.4	-	4.2	8.5
	1999-00	4.7	6.8	26.1	4.5	10.9
	2004-05	4.9	9.3	31.6	5.7	12.0
	2009-10	8.8	12.6	36.0	7.1	15.7
Graduate and Above	1993-94	1.0	5.2	-	1.7	3.8
	1999-00	1.9	2.3	13.9	2.1	5.2
	2004-05	1.8	3.3	16.2	2.7	5.4
	2009-10	3.7	4.6	18.7	2.7	7.0

Source: Based on NSS unit-level data taken from Ravi Srivastava 2012.

पी.एल.एफ़.एस. के अनुसार 2019-20 में मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति तालिका 12 में दिखाई गई है। कुल निरक्षरता दर 34.01 प्रतिशत की तुलना में कम से कम 40.83 प्रतिशत मुसलमान निरक्षर थे। सभी व्यक्तियों के लिए 25.11 प्रतिशत के आंकड़े के मुक़ाबले 28.49 प्रतिशत मुसलमान प्राथमिक स्तर तक शिक्षित थे। कुल जनसंख्या के 25.5 प्रतिशत की तुलना में केवल 16.8 प्रतिशत मुसलमानों के पास मध्यम स्तर से ऊपर की शिक्षा है। जैसे-जैसे हम शिक्षा की सीढ़ी चढ़ते हैं, मुसलमानों का अनुपात तेज़ी से गिरता है। केवल 4.4 प्रतिशत मुसलमानों के पास विश्वविद्यालय की डिग्री है और 2009-10 के आंकड़े में सुधार 2.7 प्रतिशत है। तालिका दर्शाती है कि शहरी क्षेत्रों में शैक्षिक स्तर बेहतर है। लेकिन यहाँ भी मुस्लिम आबादी अन्य सामाजिक समूहों से पीछे है। हाई स्कूल और उससे ऊपर की शिक्षा वाले मुसलमानों का बहुत कम अनुपात उनके बीच मध्यम वर्ग के उभरने में एक बड़ी बाधा है।

Table 12: Educational Status of Muslims, 2019-20 (%)

Educational Level	All Persons		Rular		Urban	
	Muslim	Total	Muslim	Total	Muslim	Total
Illiterate	40.83	34.01	43.62	36.48	36.29	25.34
Up to Primary	28.49	25.11	29.04	25.93	27.6	22.27
Middle	13.89	15.38	14.46	15.83	12.95	13.80
Secondary & Sr. Secondary	12.22	16.99	10.71	15.89	14.67	20.85
Diploma Certificate	0.14	0.21	0.1	0.14	0.2	0.45
Graduate	3.33	6.17	1.85	4.67	5.72	11.43
Post Graduate & Above	1.11	2.13	0.22	1.07	2.57	5.86
Total	100	100	100	100	100	100

Source: Calculated from unit level data of PLFS 2019-20.

निष्कर्ष

शोधपत्र ने तर्क दिया है कि मुसलमानों की वर्तमान स्थिति की गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं। 1947 में भारत के विभाजन ने राज्य की शहरी मुस्लिम आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में भारत में मुसलमानों की जनसंख्या तथा आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित किया, जिसमें मुसलमानों के बेहतर शिक्षित और अमीर वर्ग शामिल थे, जो पाकिस्तान चले गए। ज़मींदारी के उन्मूलन ने मुस्लिम ज़मींदारों पर और प्रतिकूल प्रभाव डाला जो भूमि के बड़े नुक़सान में से थे।

आजादी के बाद से देश में हुए विकास का फल पाने में मुसलमान अन्य सामाजिक समूहों के साथ समान रूप से साझा नहीं कर पाए हैं। इस स्थिति का एक प्रमुख कारण सरकारी नौकरियों तथा राज्य विधानसभा और संसद जैसे निर्वाचित निकायों में मुसलमानों का कम प्रतिनिधित्व है, जो उन्हें अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और उनकी बेहतरी के लिए

सरकारी नीतियों को लागू करने से वंचित करता है। मुस्लिम युवाओं की उच्च और तकनीकी शिक्षा तक सीमित पहुँच ने उनके काम के अवसरों को भी प्रभावित किया है और एक शिक्षित मध्यम वर्ग के उभरने को रोका है जो आम मुस्लिम आबादी को प्रबुद्ध नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान कर सके।

स्पष्ट रूप से, मुस्लिम समुदाय के पक्ष में अधिक सकारात्मक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता है, ताकि वे मुख्यधारा में शामिल हो सकें और विकास के लाभों में अन्य सामाजिक समूहों के साथ समान रूप से साझा कर सकें। जिन दो क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, वे हैं शिक्षा और ऋण तक पहुँच। यह देखने के लिए सभी प्रयास करने होंगे कि मुस्लिम छात्रों का एक बड़ा हिस्सा उच्च और तकनीकी स्तर के संस्थानों में जाए और पोस्ट-ग्रेजुएशन पूरा करे। इससे उनके लिए बेहतर रोज़गार के अवसर खुलेंगे और उनके बीच एक शिक्षित मध्यम वर्ग के उभरने में भी मदद मिलेगी जो समुदाय को प्रबुद्ध नेतृत्व प्रदान कर सकता है। इस प्रयास में मुस्लिम समुदाय को बड़े पैमाने पर आगे आना होगा। उनकी बेहतरी के लिए सरकार को सकारात्मक क़दम उठाने चाहिएँ। हस्तक्षेप का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र मुसलमानों को उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में समर्थन देने और उनकी आय बढ़ाने के लिए संस्थागत ऋण तक पहुँच को बढ़ाना है।

3. बाल विकास में हिंदू मुस्लिम के अन्तर का आकलन

सार

भारत में सबसे बड़े अल्पसंख्यक धार्मिक समूह होने के बावजूद, मुसलमानों के बीच बाल स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी तथा भारत में हिंदू-मुस्लिम अंतर पर एक व्यापक विश्लेषण की कमी है। हमने पिछले **25** वर्षों में बाल स्वास्थ्य और विकास के सामान्य संकेतकों के रूप में 0-5 साल के मुस्लिम बच्चों में मानवजनित विफलताओं और हीमोग्लोबिन के स्तर के प्रसार को समझने की कोशिश की, साथ ही इन संकेतकों और भौगोलिक विविधताओं में पूर्ण और सापेक्ष हिंदू-मुस्लिम अंतर के रुझान को समझने की कोशिश की।

(एन.एफ़.एच.एस.) 1992-93, 1998-99, 2005-06 और 2015-16, जहाँ सर्वेक्षणकर्ताओं ने <=**5** वर्ष के बच्चों की ऊँचाई, वज़न और हीमोग्लोबिन के स्तर को मापा।

मुख्य परिणाम और उपाय : उम्र के अनुकूल ऊँचाई (HAZ), उम्र के अनुकूल वज़न (WAZ), और ऊँचाई के अनुकूल वज़न (WHZ) Z स्कोर के साथ-साथ ऊँचाई समायोजित हीमोग्लोबिन के स्तर का अध्ययन किया गया। एंथ्रोपोमेट्रिक विफलता को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा बाल विकास संदर्भ मानक के अनुसार इस प्रकार पारिभाषित किया गया था – Z-स्कोर के अनुसार <**-2** के लिए उम्र के अनुकूल ऊँचाई (बौनापन), उम्र के अनुकूल वज़न (कम वज़न) और ऊँचाई के अनुकूल वज़न (मोटापा)। एनीमिया को हल्के (हीमोग्लोबिन स्तर **7**-11 जी/ डी.एल.), मध्यम (हीमोग्लोबिन स्तर 5-7 जी/ डी.एल.) और गंभीर (हीमोग्लोबिन स्तर <**5** जी/ डी.एल.) के रूप में परिभाषित किया गया था।

सांख्यिकीय विश्लेषण : प्रत्येक परिणाम के लिए, हमने एन.एफ़.एच.एस. की चार लहरों में मुसलमानों के साथ-साथ हिंदू-मुस्लिम पूर्ण और तुलनात्मक अंतर के बीच व्यापकता के रुझानों का आकलन किया। पूर्ण अंतर को हिंदू और मुस्लिम बच्चों में परिणाम के औसत के अंतर के रूप में पारिभाषित किया गया था। तुलनात्मक या प्रतिशत अंतर को हिंदू बच्चों में औसत के सापेक्ष इस अंतर के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया था। हमने घरेलू संपत्ति, बच्चे की उम्र और जाति के आधार पर अपने विश्लेषण का स्तरीकरण किया।

परिणाम : HAZ पर, जबकि एन.एफ़.एच.एस. 1-4 के बीच हिंदू-मुस्लिम अंतर कम हो गया, मुसलमानों की स्थिति हिंदुओं की तुलना में थोड़ी ख़राब रही, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच स्टंटिंग का अंतर अनुपात 1.12 (1.04, 1.21) से घटकर 1.03 (1.00,1.05) हो गया। WAZ, WHZ और हीमोग्लोबिन स्तर पर, एन.एफ़.एच.एस. 1 के बाद मुस्लिम बच्चों ने अंतर को पाट दिया, और एन.एफ़.एच.एस. 3 और 4 द्वारा, अपने हिंदू समकक्षों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे (तालिका 2, चित्र 1)। मुस्लिम लाभ को व्यर्थ करने के लिए 0.93 (0.84, 1.02) के एन.एफ़.एच.एस. 1 में OR से घटाकर 0.80 (0.78, 0.83) के एन.एफ़.एच.एस. 4 में OR कर दिया गया। कम वज़न के लिए मुस्लिम नुक़सान को 1.09 (1.02, 1.16) के एन.एफ़.एच.एस. 1 में OR से 0.86 (0.84, 0.89) के एन.एफ़.एच.एस. 4 में बदल दिया गया था (तालिका **2**, चित्र 1)। एनीमिया (हल्के और गंभीर) के लिए, मुस्लिम लाभ एन.एफ़.एच.एस 2 और 4 के बीच OR के 0.92(0.84, 1.01) से थोड़ा कम होकर 1 (0.97, 1.03) हो गया। हालाँकि, इन औसत प्रवृत्तियों ने बच्चे की उम्र, धन और भूगोल के आधार पर महत्वपूर्ण विषमताओं को छुपाया, जिसकी चर्चा हम इस अध्याय में करते हैं।

परिचय

देश की आबादी का 14% से थोड़ा अधिक प्रतिनिधित्व करते हुए, मुसलमान भारत में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धार्मिक समूह हैं (चंद्रमौली और जनरल, 2011)। फिर भी, वे शिक्षा, रोज़गार और अंतर-पीढ़ीगत आर्थिक गतिशीलता तक पहुँच सहित प्रमुख सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में पिछड़ रहे हैं (आशेर तथा अन्य, 2018)। आम तौर पर मुसलमानों और विशेष रूप से मुस्लिम बच्चों के स्वास्थ्य का महामारी विज्ञान के अध्ययन में सीमित उल्लेख मिलता है। जबकि कई अध्ययनों ने बाल अस्तित्व में मुस्लिम "विरोधाभास" की पहचान की है और कुछ हद तक, बाल विकास (सच्चर तथा अन्य, 2006) (बोरूआ, 2010) (भालोत्रा तथा अन्य, 2010) (ब्रेनर्ड एंड मेनन, 2015), अन्य ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे मुस्लिम बच्चे अल्पकालिक रुग्णता, दस्त, टीकाकरण और मातृ रक्ताल्पता तक पहुँच में अपने हिंदू समकक्षों से पिछड़ रहे हैं। (सच्चर तथा अन्य, 2006) (बोरूआ, 2010) (बंसल तथा अन्य, 2013) (जयचंद्रन और पांडे, 2017)।

पोषण की स्थिति बच्चे के स्वास्थ्य और विकासात्मक क्षमता का एक प्रमुख निर्धारक है, और समय के साथ, मुसलमानों ने निरपेक्ष रूप से और हिंदू समुदाय के सापेक्ष कैसा प्रदर्शन किया है, इसका आकलन करने के लिए परिणामों की एक विस्तृत श्रृंखला द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। इस अध्याय में, हम बड़े पैमाने पर मुस्लिम आबादी वाले मुस्लिम बच्चों के लिए विकास और बायोमार्कर परिणामों का विश्लेषण करते हैं (चंद्रमौली और सामान्य, 2011)।

बाल अस्तित्व में मुस्लिम लाभ, भारत में हिंदू-मुस्लिम स्वास्थ्य अंतर पर सबसे अधिक अध्ययन किए गए पहलुओं में से एक है (गेरुसो एंड स्पीयर्स, 2018 बी) (फैब्रीज़ियो, 2021)। एक वर्ष की आयु में एक विस्तृत अध्ययन के अनुमानों के अनुसार, मुसलमानों में मृत्यु दर हिंदुओं की तुलना में 17 प्रतिशत कम थी। 5 वर्ष की आयु में, हिंदुओं पर मुस्लिम उत्तरजीविता लाभ 2.31% अंक था (भालोत्रा तथा अन्य, 2010)। लेखकों ने इन सापेक्ष प्रवृत्तियों की व्याख्या करने के लिए किसी भी परिकल्पना का परीक्षण करने में अपनी असमर्थता को स्वीकार किया, लेकिन कई संभावित स्पष्टीकरण प्रदान किए, जिनमें पुत्र-वरीयता की निम्न डिग्री, सख़्त सामाजिक नेटवर्क और मुसलमानों के बीच अधिक मांसाहारी आहार शामिल हैं (भालोत्रा तथा अन्य, 2010)। एक अन्य अध्ययन ने मात्रात्मक रूप से इस अंतर को चलाने वाले हिंदुओं में मृत्यु दर में उच्च लिंग अंतर की परिकल्पना को ख़ारिज कर दिया, और इसके बजाय पानी, स्वच्छता, माताओं के काम की जगह और अधिक शहरीपन को मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद माना (गिलोट और एलेनडॉर्फ, 2010)। बसु तथा अन्य (2007) ने तर्क दिया कि मुसलमानों के बीच सख़्त सामाजिक नेटवर्क को कम बाल मृत्यु दर से जोड़ा जा सकता है। हाल के एक अध्ययन में, गेरुसो एंड स्पीयर्स ने शैशवावस्था में मुस्लिम मृत्यु दर के लाभ को मुस्लिम बच्चों के लिए मुस्लिम पड़ोसियों की बढ़ती संभावना और मुस्लिम समुदायों के सामूहिक पड़ोस स्वच्छता प्रभावों के लिए ज़िम्मेदार ठहराया, जो इस लाभ को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक बाहरी कारकों के रूप में कार्य करते हैं (गेरुसो एंड स्पीयर्स, 2018a)) सच्चर आयोग, एक आधिकारिक सार्वजनिक आयोग ने, जिसने 2006 में भारत में मुसलमानों की ख़राब सामाजिक-आर्थिक स्थिति को रेखांकित किया, यह भी नोट किया कि शिशु और बाल मृत्यु दर मुसलमानों की प्रवृत्ति के अपवाद थे "विकास के व्यावहारिक रूप से सभी आयामों में घाटे और अभाव को प्रदर्शित करते हैं। " (सच्चर तथा अन्य, 2006)।

चाइल्ड एंथ्रोपोमेट्री में हिंदू-मुस्लिम अंतर की तुलना करने वाले अध्ययनों में भी मुस्लिम बच्चों के लिए एक फ़ायदा पाया गया है, लेकिन केवल 1 वर्ष की आयु तक, इसके बाद स्थिति उलट जाती है (ब्रेनर्ड एंड मेनन, 2015) (डी.टी. फ़ज़ल, एन.डी.) (बसंत और शरीफ़, 2010)। हिंदू-मुस्लिम अंतर में ये रुझान न केवल भारत में, बल्कि बांग्लादेश और नेपाल में भी देखे गए हैं (ब्रेनर्ड एंड मेनन, 2015)। इस विषय पर सच्चर आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि जहाँ मुसलमानों में छोटे क़द का सबसे अधिक प्रसार और कम वज़न वाले बच्चों का दूसरा सबसे बड़ा प्रसार था, वहीं मुस्लिम बच्चों में अगड़ी जाति (एफ़.सी.) हिंदू बच्चों की तुलना में बाल कुपोषण का "थोड़ा अधिक जोखिम" था, लेकिन अनुसूचित जाति (एस.सी.) और अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) के बच्चों की तुलना में कम वज़न या बौने होने की कम संभावना थी (सच्चर तथा अन्य, 2006)। बच्चे की ऊँचाई और उसके कारणों में धार्मिक अंतर की सीधे जाँच न करते हुए, एक अन्य हालिया पेपर ने जन्म के क्रम और बेटे की वरीयता को संभावित परिकल्पना के रूप में पहचाना, यह देखते हुए कि बच्चे की ऊँचाई और जन्म के क्रम के बीच धार्मिक और क्षेत्रीय भिन्नताएँ केवल हिंदुओं में देखी गईं, मुसलमानों में नहीं। संभवतः इसलिए कि इस्लाम पुत्र वरीयता पर कम ज़ोर देता है (जयचंद्रन और पांडे, 2017)।

जबकि अधिकांश अध्ययन हिंदू-मुस्लिम अंतर में केवल राष्ट्रव्यापी औसत प्रवृत्तियों का आकलन करते हैं, सच्चर आयोग की रिपोर्ट में बाल मानवविज्ञान में इस अंतर में भौगोलिक भिन्नता पर चर्चा की गई थी।

रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि पूर्वोत्तर को छोड़कर, जहाँ वे उच्चतम बाल मानवशास्त्रीय विफलताओं में से थे, मुस्लिम बच्चों में हिंदू एस.सी. और एस.टी. की तुलना में कम मानवशास्त्रीय विफलताएं थीं, लेकिन देश के दक्षिणी और पश्चिमी भाग में एफ़.सी. हिंदुओं की तुलना में अधिक थी (सच्चर तथा अन्य, 2006)। जबकि दक्षिण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वज़न दर 43% से कम था, मुसलमानों का वज़न 32% था; और मुसलमानों और एस.सी. और एस.टी. के बीच कम वज़न की दरों में अंतर पूर्व में 50% के मुक़ाबले 48% था (सच्चर तथा अन्य, 2006)। इसके अलावा, दक्षिण, पश्चिम और मध्य क्षेत्रों में, जबकि मुसलमानों में जन्म के समय कम वज़न वाले शिशुओं की घटना सबसे कम या दूसरी सबसे कम थी, अन्य क्षेत्रों में उनके जन्म के समय कम वज़न वाले बच्चों की घटना सबसे अधिक या दूसरी सबसे अधिक थी (सच्चर तथा अन्य, 2006)।

दिलचस्प बात यह है कि स्वास्थ्य परिणामों में यह मुस्लिम "लाभ" वयस्कों में नहीं देखा जाता है। एफ़.सी. हिंदुओं की तुलना में, मुसलमानों के लिए मृत्यु की औसत आयु 6.1 वर्ष कम और अनुसूचित जनजातियों के लिए 4.9 वर्ष कम और अनुसूचित जातियों के लिए 7.1 वर्ष कम थी (बोरूआ, 2010)। बुज़ुर्ग दलितों, ओ.बी.सी. मुसलमानों और ग़ैर-ओ.बी.सी. मुसलमानों के ख़राब स्वास्थ्य में क्रमशः 2.6, 5.5 और 8.1 अंक होने की संभावना अधिक थी, और उपचार लेने की संभावना क्रमशः 10.6, 22.5 और 9.0 अंक कम थी। ग़ैर-ओ.बी.सी. मुसलमानों और ग़ैर-मुस्लिम ओ.बी.सी. के इलाज के लिए क्रमशः 7.7 और 5.7 अंक कम होने की संभावना थी (बोरूआ, 2010)। साथ ही, ओ.बी.सी. मुसलमानों, ग़ैर-ओ.बी.सी. मुसलमानों को एफ़.सी. हिंदुओं की तुलना में 8.8, और 4.3 अंक (बोरूआ, 2010) की तुलना में प्रसव पूर्व देखभाल प्राप्त होने की संभावना कम थी।

इसके अलावा, जबकि अधिकांश महामारी विज्ञान के अध्ययनों में हिंदुओं को जाति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, मुस्लिम आबादी के लिए यह मामला नहीं है (सच्चर तथा अन्य, 2006)। इस प्रकार, भारत में मुसलमानों से संबंधित वर्णनात्मक महामारी विज्ञान में जाति और धर्म के परस्पर अनुभवों को शायद ही कभी माना जाता है (त्रिवेदी

तथा अन्य, 2016) (अहमद, 2003) । हिंदू जाति व्यवस्था के समान रुझान को, जिसमें निहित सामाजिक पदानुक्रम, समुदाय-आधारित अंतर्विवाह और पारिवारिक व्यवसाय शामिल हैं, मुसलमानों पर समाजशास्त्रीय अध्ययनों में अच्छी तरह से दर्ज किया गया है (त्रिवेदी तथा अन्य, 2016)। सच्चर आयोग की रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से मुसलमानों को उनकी विषम परिस्थितियों को देखते हुए एक "अखंड" के रूप में व्यवहार करने के ख़िलाफ़ चेतावनी दी थी (सच्चर तथा अन्य, 2006)।

जैसा कि सच्चर रिपोर्ट सहित कई अध्ययनों में उल्लेख किया गया है, मुसलमानों में तीन समूह होते हैं— अशराफ़, अजलाफ़ और अर्ज़ल (टी। फ़ज़ल, 2010) (सेन, 2019) (त्रिवेदी तथा अन्य, 2016) (अहमद, 2003) (अली, रा)। 'ओ.बी.सी.' श्रेणी के तहत मुस्लिम समूह, जिन्हें सच्चर समिति की रिपोर्ट में एक विशेष अध्याय दिया गया था, ग़ैर-अशराफ़ वर्गों से आते हैं, जो ऐतिहासिक रूप से मध्यम और निचली जाति के हिंदू समूहों से परिवर्तित हुए थे और उनकी पहचान उनके पारंपरिक व्यवसायों से की गई थी (भट्टी, 1973) । (सच्चर तथा अन्य, 2006)। भट्टी ने 1973 में उत्तर प्रदेश के एक विस्तृत अध्ययन में एक ही गाँव में पारंपरिक जाति निर्धारित व्यवसायों से संबंधित 18 मुस्लिम ओ.बी.सी. समूहों की पहचान की (भट्टी, 1973)। सच्चर समिति की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ब्रिटिश भारत के तहत 1911 की जनगणना में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बीच 102 जाति समूहों को सूचीबद्ध किया गया था, जिनमें से कम से कम 97 ग़ैर-अशराफ़ श्रेणी से थे, जिनमें राजपूत, कायस्थ, कुम्हार, कुर्मी आदि सहित कई समूह शामिल थे जो हिंदुओं में भी आम थे (सच्चर तथा अन्य, 2006)। सच्चर समिति की रिपोर्ट ने सिफ़ारिश की थी कि अरज़ल को, जिनके पास हिंदू अनुसूचित जाति (एस.सी.) के समान पारंपरिक व्यवसाय थे, "सबसे पिछड़ा वर्ग" के रूप में नामित किया जाना चाहिए।

और शैक्षिक अवसरों में आरक्षण जैसे सकारात्मक कार्रवाई लाभों की गारंटी दी जाए। रिपोर्ट ने आगे सिफ़ारिश की कि मुस्लिम ओ.बी.सी. वाले अजलाफ़ को हिंदू ओ.बी.सी. के समान संवैधानिक प्रावधानों का आनंद लेना चाहिए (सच्चर तथा अन्य, 2006)।

इस पृष्ठभूमि के साथ, इस अध्याय में हमने यह समझने की कोशिश की कि भारत में मुस्लिम बच्चों ने समय के साथ, पूर्ण रूप से और बहुसंख्यक हिंदू समुदाय की तुलना में, बचपन के मानवशास्त्रीय उपायों और हीमोग्लोबिन के स्तर पर कैसा प्रदर्शन किया है। हमने विश्व स्वास्थ्य संगठन 2006 के बाल विकास मानकों के आधार पर तीन एंथ्रोपोमेट्रिक Z-स्कोर का इस्तेमाल किया: उम्र के अनुकूल ऊँचाई Z-स्कोर (HAZ), उम्र के अनुकूल वज़न Z-स्कोर (WAZ) और ऊँचाई के अनुकूल वज़न Z-स्कोर (WHZ))। HAZ जिसका उपयोग मीट्रिक निर्धारित करने के लिए किया जाता है

बौनेपन को दीर्घकालीन विकास क्षमता का सूचक माना जाता है। WAZ, कम वज़न के मीट्रिक को परिभाषित करने के लिए पोषण या पोषण संबंधी संवेदनशील हस्तक्षेपों में छोटी अवधि के व्यवधानों को पकड़ता है, और WHZ जिसका उपयोग बर्बाद होने की माप को पारिभाषित करने के लिए किया जाता है, HAZ और WAZ दोनों संकेतकों के संचयी पहलुओं को प्राप्त करता है (ब्लॉम, 2007)। हीमोग्लोबिन का स्तर एक प्रमुख बायोमार्कर है जो चिकित्सकीय रूप से पोषण की स्थिति का निर्धारण करता है।

हम समय के साथ-साथ राज्यों द्वारा इन परिणामों के रुझानों का राष्ट्रीय स्तर पर आकलन करते हैं। उत्तर प्रदेश, जहाँ 159 मिलियन हिंदू और 38 मिलियन मुसलमान हैं और भारत की 16% और 22% हिंदू और मुस्लिम आबादी बस्ती है (चंद्रमौली और जनरल, 2011) (क्रेमर, एन.डी.) हमारे विश्लेषण में उसपर विशेष ध्यान दिया गया था।

एन.एफ़.एच.एस. 4 के लिए, जो ज़िलों के स्तर पर एकमात्र लहर प्रतिनिधि था, हम राज्य के रुझानों का भी आकलन करते हैं।

निष्कर्ष

औसत बाल मानवविज्ञान और हीमोग्लोबिन के स्तर पर हिंदुओं की तुलना में अक्सर मुस्लिम "लाभ" का जो उदाहरण दिया जाता है, वह उम्र, जाति, धन, भूगोल द्वारा व्यापक भिन्नताओं को छिपाता है। हम पाते हैं कि 1 वर्ष या उससे अधिक उम्र में और उच्च धन पंचमक के लिए लाभ समाप्त हो जाता है। जाति द्वारा प्रभाव संशोधन हमें दिखाता है कि अगड़ी जाति हिंदू बेहतर प्रदर्शन करते हैं और ग़ैर-ओ.बी.सी. और ओ.बी.सी. मुस्लिम और ग़ैर-ओ.बी.सी. मुसलमान मानवजनित विफलताओं में ओ.बी.सी. हिंदुओं की तुलना में समान या बदतर हैं। हम यह भी पाते हैं कि एस.सी. और एस.टी. हिंदुओं के परिणाम सबसे ख़राब हैं, लेकिन एफ.सी. हिंदुओं की तुलना में उनका नुक़सान सबसे ज़्यादा है। हमारे निष्कर्ष बाल स्वास्थ्य परिणामों में हिंदू-मुस्लिम अंतर को समझने और कम करने के लिए अधिक लक्षित दृष्टिकोणों के लिए धन, जाति, धर्म के साथ-साथ निवास के भूगोल के पारस्परिक जीवन के अनुभवों को समझने और शामिल करने के महत्व को रेखांकित करते हैं। महत्वपूर्ण रूप से, हम पाते हैं कि मुस्लिम बच्चों में इन परिणामों में कुछ क्षेत्रों में सुधार हुआ है, कई राज्य अब भी पिछड़ रहे हैं, और यहाँ तक कि कुछ राज्यों के भीतर भी, जिन्होंने उल्लेखनीय सुधार किया है, उच्च आईक्यूआर इन परिणामों में राज्य के अन्दर उच्च स्तर की असमानताओं को रेखांकित करते हैं। भारत में बाल विकास, नष्ट होना, वज़न कम होना और रक्त की कमी से संबंधित नीतिगत दृष्टिकोण को जनसंख्या औसत को लक्षित करने के अलावा, इन बहु अक्षों द्वारा निर्धारित असमानताओं को पहचानने, पारिमाणित करने और लक्षित करने पर भी विचार करना चाहिए।

4. उत्तर प्रदेश में वित्तीय समावेशन

परिचय

रंगराजन समिति (2008) बताती है कि कम आय और शून्य संपत्ति वाले लोगों में वित्तीय साक्षरता की कमी वित्तीय सेवाओं की माँग बढ़ाने और वित्तीय समावेशन प्राप्त करने में प्रमुख बाधा है। आपूर्ति पक्ष पर, जो बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से बना है, कई बाधाओं की पहचान की गई है। वित्तीय समावेशन को प्राप्त करने के लिए आपूर्ति पक्ष की बाधाओं, जैसे कि बैंक शाखा से दूरी, बोझिल बैंकिंग प्रक्रिया, लेनदेन लागत और अन्य परिचालन समस्याओं को संबोधित करने की आवश्यकता है (भारत सरकार, 2008)। आगे, गुप्ता और मजूमदार (2013) ने हुगली ज़िले में वित्तीय समावेशन पर अपने अध्ययन में पाया कि वित्तीय समावेशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम कवरेज है और जिन लोगों को बाहर रखा गया है उनमें से अधिकांश एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., मुस्लिम जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक, सीमांत भूमिहीन, और अशिक्षित श्रमिक हैं।

मुसलमानों की वित्तीय स्थिति के संबंध में[16], सच्चर समिति (भारत सरकार, 2006) की रिपोर्ट से पता चला है कि कई संकेतकों पर मुस्लिम अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदाय से पीछे हैं, ख़ासकर वित्तीय समावेशन के मामले में। मुसलमानों को प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों (पी.एस.ए.) का 11.86% हिस्सा देना चाहिए, जिसमें से उन्हें 2005 में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एस.सी.बी.) के साथ पी.एस.ए. बक़ाया राशि में सिर्फ़ 4.7% हिस्सा और बचत जमा राशि में 7.4% हिस्सेदारी मिली (सच्चर समिति भारत सरकार), 2006)। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) जैसे विशिष्ट संस्थानों में स्थिति बेहतर नहीं है। नाबार्ड द्वारा सभी पुनर्वित्त में मुसलमानों की हिस्सेदारी केवल 4% से कम है और उन्हें सिडबी द्वारा प्रदान किए गए वित्त का 0.5% भी प्राप्त नहीं होता है। कुछ बैंक 'नकारात्मक भौगोलिक क्षेत्रों' (रेड ज़ोन) की पहचान करते हैं और उन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी का एक उच्च हिस्सा बैंकिंग सुविधाओं से समुदाय को छोड़कर पाया गया (सच्चर समिति की रिपोर्ट भारत सरकार, 2006)। सच्चर समिति (भारत सरकार, 2006) ने विशेष रूप से मुसलमानों को सीधे ऋण देने, विभिन्न ऋण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने और सूचना की रिपोर्टिंग में पारदर्शिता लाने के लिए क़दम उठाने की सिफ़ारिश की।

वित्तीय समावेशन-उत्तर प्रदेश के क्रिसिल रैंकिंग ज़िले

वित्तीय समावेशन निश्चित रूप से एक हालिया घटना नहीं है। भारत में, वित्तीय समावेशन के शुरुआती प्रयासों का पता 1904 से सहकारिता आंदोलन की शुरुआत तक लगाया जा सकता है। वित्तीय समावेशन के विकास में एक प्रमुख घटना 1969 में बैंक राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम था, जब 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था; बाद में अग्रणी बैंक योजना शुरू की गई। परिणामस्वरूप, देश भर में बड़ी संख्या में शाखाएँ खोली गईं, यहाँ तक कि उन क्षेत्रों में भी जो उस समय तक बैंकों की पहुँच से बाहर थे। वित्तीय समावेशन के एजेंडे पर भारत में 2000 के दशक की शुरुआत में वित्तीय समावेशन की कमी और ग़रीबी से इसके सीधे संबंध के बारे में निष्कर्षों के प्रकाशन के बाद ज़ोर दिया गया था। विभिन्न अध्ययनों ने यह साबित कर दिया है कि बैंकिंग प्रणाली से बहिष्कार के परिणामस्वरूप देश के सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में 1% का नुक़सान होता है।

Table 1: Minority population according to Census 20 1.

Name of Minority	All India	Uttar Pradesh
Muslims	**14.23**	**19.26**
Christians	**2.30**	**0.18**
Sikhs	**1.72**	**0.32**
Buddhist	**0.70**	**0.10**
Jain	**0.37**	**0.11**
Parsi	**0.0047**	**0.00005**
Total Minorities	**19.32**	**19.98**

Source: Census 2011

अल्पसंख्यक आबादी के रूप में मुसलमान उत्तर प्रदेश की अल्पसंख्यक आबादी में सबसे अधिक हैं (तालिका 1 देखें)। उत्तर प्रदेश (यू.पी.) के भीतर, 75 ज़िलों में से 8 ज़िले हैं जो 58 के अखिल भारतीय स्कोर से ऊपर हैं (क्रिसिल्क्स 2016)। ये ज़िले ग़ाज़ियाबाद (78.2), लखनऊ (77.3), गौतम बुद्ध नगर (76.0), वाराणसी (70.1), कानपुर देहात (64.4), मेरठ (64.2), गोरखपुर (62.1) और आगरा (61.6) (परिशिष्ट -1) हैं। . यू.पी. में सबसे कम स्कोर करने वाले ज़िले भीमनगर (25.0), शामली (25.0), श्रावस्ती (25.5), सिद्धार्थनगर (26.0) और कौशांबी (27.2) हैं।

क्रिसिल्क्स इंडेक्स के विश्लेषण के लिए अल्पसंख्यक कल्याण और वक़्फ़ विभाग (एम.डब्ल्यू.डब्ल्यू.डी, 2021) द्वारा प्रदान किए गए अध्ययन में कम से कम 20 प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाले 27 ज़िलों को देखा गया। तालिका 2 के डेटा से पता चलता है कि लखनऊ, ग़ाज़ियाबाद और मेरठ को छोड़कर 25 ज़िलों में से किसी का भी अखिल भारतीय औसत स्कोर से ऊपर नहीं है। औसत से कम (35.0 से 50.0) वाले ज़िले 11 ज़िले हैं, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुज़फ़्फ़रपुर, अलीगढ़, अमरोहा, बरेली, बुलंदशहर, बाग़पत, बिजनौर, बाराबंकी और रामपुर। कम स्कोर वाले ज़िले (35.0 से कम) 13 ज़िले हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, गोंडा, सीतापुर, बदायूँ, संत कबीर नगर, हापुड़, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, श्रावस्ती, शामली और संभल (तालिका 2 देखें)।

जब हम 35% और उससे अधिक मुस्लिम आबादी वाले ज़िलों और उनके संबंधित क्रिसिलक्स स्कोर के साथ डेटा का विश्लेषण करते हैं, तो हमें संभल 75.67% आबादी (25 स्कोर) के साथ मिलती है, इसी तरह रामपुर 54% (37 स्कोर), मुरादाबाद 48% (48 स्कोर), बिजनौर 48% (42.4 स्कोर), सहारनपुर 43% (47.8 स्कोर), मुज़फ़्फ़रपुर 42% (47.5 स्कोर), अमरोहा 41% (46.6 स्कोर), बलरामपुर 38% (28.6 स्कोर), मेरठ 36% (64.2 स्कोर) और

बरेली 36% (45.4 स्कोर)। संभल और बलरामपुर में उच्च मुस्लिम आबादी के साथ सबसे कम स्कोर है, जबकि मेरठ में औसत से ऊपर है और बाकी ज़िलों में मुस्लिम आबादी की बड़ी उपस्थिति की तुलना में औसत स्कोर से नीचे है। नीतिगत निहितार्थ बिल्कुल स्पष्ट हैं कि हमें उन ज़िलों में अधिक प्रयासों की आवश्यकता है, जहाँ बड़ी मुस्लिम आबादी के साथ वित्तीय समावेशन का स्कोर कम है।

Table 2: Districts with more than 20 percent Muslim Population and CRISILCX Score/District Ranking

Districts	% of Muslim population	2016 (CRSILCX)	Rank (2016)
Above average score >50.0			
Ghaziabad	27	78.2	92
Lucknow	23	77.3	99
Meerut	36	64.2	208
Below average score between 35.0 to 50.0			
Moradabad	48	48	365
Saharanpur	43	47.8	369
Muzaffarpur	42	47.5	373
Aligarh	20	47.3	382
Amroha/Jyotiba Phule Nagar	41	46.6	387
Bareilly	36	45.4	399
Buland Shahr	22	44.6	408
Bhagpat	29	42.6	433
Bijnor	48	42.4	435
Bara banki	23	37.4	506
Rampur	54	37	511
Low score <35.0			
Pilibhit	28	34.8	533
Lakhimpu Kheri	23	33.5	542
Gonda	20	33	546
Sitapur	20	32	555
Budaun	21	31.5	563
Sant Kabir Nagar	24	30.4	575
Hapur/Panchasheel Nagar	32	30.2	577

Bahraich	**34**	**29.6**	**584**
Balarampur	**38**	**28.6**	**593**
Siddharth Nagar	**30**	**26**	**620**
Shravasti	**31**	**25.5**	**622**
Shamali/Prabudh Nagar	**29**	**25**	**625**
Sambhal/Bhim Nagar	**75.67**	**25**	**626**

बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन और सुविधाएँ : सी.डी. अनुपात, बैंकिंग आउटलेट और वार्षिक ऋण योजना

आश्चर्य की बात यह है कि 2021 में जमा प्रमाणपत्र (सी.डी.) अनुपात ग़ाज़ियाबाद (48.54), लखनऊ (45.82) और मेरठ (57.19) के लिए कम है, जिनका औसत CRISILCX स्कोर है (तालिका 3 देखें)। हालाँकि, औसत से कम और कम स्कोर वाले CRISILCX ज़िलों के लिए सी.डी. अनुपात काफ़ी बेहतर है। ज़िलों में, सीतापुर (23.44), बदायूँ (14.06), अमरोहा (13.09) और मुरादाबाद (12.74) ने 2018 से 2021 तक सी.डी. अनुपात में सुधार दिखाया। कुछ ज़िलों जैसे मुज़फ़्फ़रपुर (-14.03), शामली (-11.45), सहारनपुर (-9.98) और बहराइच (-9.95) ने 2018 से 2021 तक सी.डी. अनुपात में गिरावट दिखाई। सिद्धार्थ नगर (33.4), संत कबीर नगर (39.58) और बलरामपुर (40.1) में 2021 में जमा प्रमाणपत्र (सी.डी.) अनुपात सबसे कम था।

Table 3: CD Ratio Among 27 Districts (2018 & 2021)

Districts	CD ratio in 2018	CD ratio in 2021	CD ratio change from2018 to 2021
Above average score >50.0			
Ghaziabad	**54.02**	**48.54**	**-5.48**
Lucknow	**35.45**	**45.82**	**10.37**
Meerut	**60.82**	**57.19**	**-3.63**
Below average score between 35.0 to 50.0			
Moradabad	**58**	**70.73**	**12.74**
Saharanpur	**72.63**	**62.65**	**-9.98**
Muzaffarpur	**79.04**	**65.02**	**-14.03**
Aligarh	**69.09**	**54.29**	**-14.8**
Amroha/Jyotiba Phule Nagar	**67.95**	**81.04**	**13.09**
Bareilly	**52.1**	**53**	**0.9**

Buland Shahr	**56.58**	**52.36**	**-4.22**
Bhagpat	**56.86**	**49.56**	**-7.3**
Bijnor	**62.61**	**62.43**	**-0.18**
Bara banki	**64.58**	**64.99**	**0.41**
Rampur	**75.83**	**83.65**	**7.82**
Low score <35.0			
Pilibhit	**80.45**	**73.09**	**-7.36**
Lakhimpu Kheri	**73.93**	**78.48**	**4.55**
Gonda	**40.91**	**45.27**	**4.36**
Sitapur	**41.57**	**65.02**	**23.44**
Budaun	**67.02**	**81.08**	**14.06**
Sant Kabir Nagar	**30.21**	**39.58**	**9.37**
Hapur/Panchasheel Nagar	**63.64**	**62.79**	**-0.85**
Bahraich	**66.44**	**56.49**	**-9.95**
Balarampur	**44.27**	**40.1**	**-4.17**
Siddharth Nagar	**26.94**	**33.4**	**6.46**
Shravasti	**52.36**	**52.79**	**0.43**
Shamali/Prabudh Nagar	**71.65**	**60.19**	**-11.45**
Sambhal/Bhim Nagar	**89.47**	**87.95**	**-1.52**

उपर्युक्त औसत क्रिसिल स्कोर वाले ज़िलों में, लखनऊ में बैंकिंग सुविधाओं की उपस्थिति सबसे अधिक है, इसके बाद ग़ाज़ियाबाद और मेरठ हैं (तालिका **5** देखें)। औसत से कम और कम स्कोर वाले ज़िलों में, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर और मुज़फ़्फ़रपुर में अन्य ज़िलों की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर सुविधाएं हैं। श्रावस्ती (80 बैंक शाखाएँ), शामली (81 बैंक शाखाएँ), बलरामपुर (134 बैंक शाखाएँ), हापुड़ (137 बैंक शाखाएँ), संभल (160 बैंक शाखाएँ) और संत कबीर नगर (166 बैंक शाखाएँ) में बैंकिंग सुविधाओं की बहुत ख़राब उपस्थिति देखी जा सकती है। (तालिका 4 देखें)।

Table 4: Distribution of Banking Facilities, Bank Branch, ATM and Bank Mitra (June 2021)

Districts	Bank branch	ATM	Bank Mitra	% to total branches	% to total ATMs	% to total Bank Mitras
Above average score >50.0						
Ghaziabad	525	1098	901	2.7	5.9	1.3
Lucknow	1039	1931	2429	5.3	10.3	3.5
Meerut	474	687	863	2.4	3.7	1.3
Below average score between 35.0 to 50.0						
Moradabad	370	325	650	1.9	1.7	0.9
Saharanpur	324	236	624	1.7	1.3	0.9
Muzaffarpur	320	225	699	1.6	1.2	1.0
Aligarh	345	310	1187	1.8	1.7	1.7
Amroha/JP Nagar	214	112	441	1.1	0.6	0.6
Bareilly	455	504	1026	2.3	2.7	1.5
Buland Shahr	260	289	1009	1.3	1.5	1.5
Bhagpat	142	119	394	0.7	0.6	0.6
Bijnor	333	194	1024	1.7	1.0	1.5
Bara banki	253	149	926	1.3	0.8	1.4
Rampur	262	175	407	1.3	0.9	0.6
Low score <35.0						
Pilibhit	175	134	520	0.9	0.7	0.8
Lakhimpu Kheri	329	171	1076	1.7	0.9	1.6
Gonda	223	125	1121	1.1	0.7	1.6

Sitapur	**321**	**183**	**1015**	**1.6**	**1.0**	**1.5**
Budaun	**210**	**138**	**1018**	**1.1**	**0.7**	**1.5**
Sant Kabir Nagar	**166**	**69**	**666**	**0.8**	**0.4**	**1.0**
Hapur/ Panchasheel Nagar	**137**	**112**	**284**	**0.7**	**0.6**	**0.4**
Bahraich	**216**	**130**	**845**	**1.1**	**0.7**	**1.2**
Balarampur	**134**	**65**	**846**	**0.7**	**0.3**	**1.2**
Siddharth Nagar	**149**	**88**	**933**	**0.8**	**0.5**	**1.4**
Shravasti	**80**	**37**	**355**	**0.4**	**0.2**	**0.5**
Shamali/ Prabudh Nagar	**81**	**50**	**244**	**0.4**	**0.3**	**0.4**
Sambhal/Bhim Nag r	**160**	**92**	**633**	**0.8**	**0.5**	**0.9**

लखनऊ (150%), मुरादाबाद (110%), मेरठ (103.84%), बदायूँ (102.9%) और बलरामपुर (100%) जैसे ज़िलों के लिए वार्षिक ऋण योजना उपलब्धि अधिक है (तालिका 6 देखें)। पीलीभीत (52%), सीतापुर (58.9%), बुलंदशहर (61.7%) और संत कबीर नगर (63.9%) जैसे ज़िलों में कम उपलब्धि देखी गई है। ऋण योजना का कुल वार्षिक परिव्यय निम्न-स्कोर वाले ज़िलों की तुलना में औसत से अधिक और औसत से कम CRISILCX score ज़िलों के लिए अधिक है।

स्वयं सहायता समूहों की प्रगति

स्वयं सहायता समूह (SHGs) वित्तीय समावेशन और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, विशेष रूप से जिनके पास प्रत्यक्ष बैंकिंग सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए पर्याप्त ज़मानती संपत्ति नहीं है। सेल्फ़ हेल्प ग्रुप (एस.एच.जी.) के विभिन्न मॉडलों में, यह माना जाता है कि बैंक से जुड़े ये ग्रुप अन्य प्रकार के ऋणों की तुलना में सस्ते ऋण प्राप्त करने में बहुत सफल रहे हैं। लिंकेज के अंतर्गत एस.एच.जी. के बचत लिंक्ड खाते क्रेडिट लिंक्ड खातों की तुलना में अधिक हैं। जब हम बचत से जुड़े खातों से जुड़े क्रेडिट के अनुपात को देखते हैं, तो बचत राशि के लिए क्रेडिट राशि के 2.4 अनुपात की तुलना में खातों की संख्या के संदर्भ में यह 6.0 है (तालिका **5** देखें)। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि बचत राशि की तुलना में क्रेडिट लिंक्ड अनुपात काफ़ी कम है। नीतिगत प्रयास क्रेडिट लिंक्ड राशि को बढ़ाने के लिए होना चाहिए और सामाजिक-धार्मिक स्थिति के बावजूद गाँव के ग़रीबों द्वारा इसका उपयोग किया जा

सकता है। नीचे दी गई तालिका में हम देख सकते हैं कि वाणिज्यिक बैंकों (37.3%) की तुलना में बैंकों से जुड़े एस.एच.जी. (62.3%) की संख्या में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर.आर.बी.) सबसे आगे रहे हैं। हालाँकि, आर.आर.बी. (37.7%) की तुलना में वाणिज्यिक बैंकों के पास दिए गए ऋणों (62.2.6%) में एक बड़ा हिस्सा है।

तालिका **5:** बैंकों से स्वयं सहायता समूहों का जुड़ाव (जून 2021)

Sl. No	Name of Bank	Total SHGs Savings Linked		Total Credit Linked SHGs		Ratio of credit linked to saving linked of SHGs	
		A/c	Amt. (in Lacs)	A/c	Amt. (in Lacs)	A/c	Amt.
1	TOTAL LEAD BANKS BANKS	205436	54102.69	150675	139615.38	0.7	2.6
2	TOTAL NON LEAD	3385	1099.35	2891	2985.51	0.9	2.7
3	TOTAL PRIVATE SECTOR	3667	1383.76	2397	2473.96	0.7	1.8
4	TOTAL COMM. BANKS	212488	56585.8	155963	145074.85	0.7	2.6
5	TOTAL COOPERATIVE BANKS	2042	538.28	49	48.91	0.0	0.1
6	TOTAL REGIONAL RURAL	355003	41183.95	196914	87949.06	0.6	2.1
7	GRAND TOTAL	569533	98308.03	352926	233072.82	0.6	2.4
8	RRBS % TO TOTAL	62.3	41.9	55.8	37.7		
9	COMMERCIAL BANK % TO TOTAL	37.3	57.6	44.2	62.2		

निष्कर्ष

संभल और बलरामपुर में उच्च मुस्लिम आबादी के साथ सबसे कम स्कोर है जबकि मेरठ में औसत से ऊपर है और बाकी ज़िलों में मुस्लिम आबादी की बड़ी उपस्थिति की तुलना में औसत स्कोर से नीचे है। नीतिगत निहितार्थ बिल्कुल स्पष्ट हैं कि हमें उन ज़िलों में अधिक प्रयासों की आवश्यकता है, जहाँ बड़ी मुस्लिम आबादी के साथ वित्तीय समावेशन का स्कोर कम है। श्रावस्ती (80 बैंक शाखाएँ), शामली (81 बैंक शाखाएँ), बलरामपुर (134 बैंक शाखाएँ), हापुड़ (137 बैंक शाखाएँ), संभल (160 बैंक शाखाएँ) और संत कबीर नगर (166 बैंक शाखाएँ), इन ज़िलों में मुसलमानों की बड़ी उपस्थिति के बावजूद बैंकिंग सुविधाओं की बहुत ख़राब उपस्थिति देखी जा सकती है। क्रेडिट योजना का कुल वार्षिक परिव्यय निम्न स्कोर वाले ज़िलों की तुलना में औसत से अधिक और औसत से कम CRISILCX स्कोर वाले ज़िलों के लिए अधिक है। यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि उपर्युक्त सभी गाँवों में 5000 की आबादी कोर बैंकिंग समाधान (सी.बी.एस.) समर्थित बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से बैंकिंग सुविधाओं से भरी है। जब हमने एस.एच.जी. डेटा का विश्लेषण किया तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि बचत राशि की तुलना में क्रेडिट लिंक्ड अनुपात काफ़ी कम है। नीतिगत प्रयास क्रेडिट लिंक्ड राशि को बढ़ाने के लिए होना चाहिए और सामाजिक-धार्मिक स्थिति के बावजूद गाँव के ग़रीबों द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। वाणिज्यिक बैंकों (37.3%) की तुलना में

बैंकों से जुड़े एस.एच.जी. (62.3%) की संख्या के मामले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर.आर.बी.) सबसे आगे रहे हैं। हालाँकि, आर.आर.बी. (37.7%) की तुलना में वाणिज्यिक बैंकों के पास दिए गए ऋणों (62.2.6%) में एक बड़ा हिस्सा है।

MWWD के आंकड़े बताते हैं कि 2018-19 से 2019-20 तक बजट आवंटन में लगभग 134 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बजट आवंटन में वृद्धि की प्रमुख मदों में मदरसों का विकास और अरबी और फ़ारसी भाषा को बढ़ावा देना है, इसके बाद अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति और केंद्र प्रायोजित योजनाएँ हैं। MWWD 2021 रिपोर्ट में दिए गए डेटा में ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है, इसका आकलन करने के लिए ज़िला स्तर पर विवरण का उल्लेख नहीं है। अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों को मज़बूत करने के लिए योजना कार्यान्वयन के विभिन्न हितधारकों और लाभार्थियों के अनुभवों को देखते हुए आगे विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है।

5. उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा में बदलाव: औपनिवेशिक युग से वर्तमान तक

उत्तर प्रदेश भारत में औपनिवेशिक युग का सबसे प्रसिद्ध मदरसा है, जिसका नाम दार अल-उलूम है, जो राज्य के पश्चिमी भाग में देवबंद नामक छोटे-से क़स्बे में है। सीमा से परे, दिल्ली में, प्रसिद्ध न्यायविद शाह वलीउल्लाह (मृत्यु 1762) के पिता शाह अब्दुर्रहीम (मृत्यु 1719) द्वारा स्थापित बहुत पुराना 'मदरसा रहीमिया' है। पूर्व में जाने पर, हम प्रसिद्ध फ़िरंगी महली मदरसा और बीसवीं शताब्दी के शुरुआती मदरसा, नदवतुल-उलमा, दोनों लखनऊ में, अवध के पूर्व नवाबी राज्य में, साथ ही साथ कुछ प्रसिद्ध शिया मदरसों का सामना करते हैं। और आगे पूर्व की ओर बढ़ते हुए, जमाअते-इस्लामी से संबंधित आजमगढ़ में जामिअतुल-फ़लाह और पड़ोसी शहर मुबारकपुर में बरेलवियों के दारुल-उलूम जामिआ अशरफ़िया जैसे कई और मदरसे हैं। यह देखते हुए कि यू.पी. में भारत के किसी भी राज्य में मुसलमानों का अनुपात सबसे अधिक (लगभग 18%) है, हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि यह भारत में मदरसों के सबसे बड़े अनुपात, संभवतः 10%, का घर भी है।

उल्लेखनीय रूप से, 1990 या उसके बाद से लड़कियों के मदरसों में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, कुछ ज़िलों में महिला मदरसा छात्रों की संख्या पुरुष छात्रों से अधिक है, जिसका विश्लेषण इस अध्याय में किया जाएगा। पूर्व-औपनिवेशिक और औपनिवेशिक काल से शुरू होने वाले अध्याय को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित किया गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश वह था जहाँ पूर्व-औपनिवेशिक और औपनिवेशिक काल में कई प्रमुख मदरसों की स्थापना की गई थी, यह खंड लखनऊ में महत्वपूर्ण नए शिया मदरसों के संक्षिप्त संदर्भ के साथ दक्षिण एशिया में सुन्नी मुसलमानों के धार्मिक रुझान का एक विस्तृत आकलन प्रस्तुत करता है। इसके बाद यह उत्तर-औपनिवेशिक काल की जाँच करता है, इसे तीन खंडों में विभाजित करता है: स्वतंत्रता से 1991 तक, 1991 से 2014 तक और अंत में, 2014 से 2019 तक।

यू.पी. में पूर्व-औपनिवेशिक और औपनिवेशिक-युग की मदरसा शिक्षा

ऐसा समझा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीन मदरसा 1206 में दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दौर में इल्तुतमिश ने बनाया था (रॉबिंसन 2019: 132)। चौदहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, फ़िरोज़ शाह मदरसा का निर्माण फ़िरोज़ शाह तुग़लक (शासनकाल 1351-88) ने दिल्ली के हौज ख़ास में किया था, जहाँ इसके खंडहर आज भी देखे जा सकते हैं। यह दिल्ली सल्तनत काल के अंत से संबंधित है और कहा जाता है कि उस समय "दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे अच्छी तरह से सुसज्जित मदरसा" था (उपर्युक्त)। वर्तमान यू.पी. में अन्य प्रसिद्ध मदरसे बदायूँ, आगरा और जौनपुर में स्थापित किए गए थे। बाद के राजवंशों ने भी, जिनमें दक्कन के कुछ राजवंश भी शामिल थे, मदरसा शिक्षा को बढ़ावा दिया। मुग़ल काल की ओर बढ़ते हुए, मदरसों का निर्माण सभी प्रमुख सम्राटों द्वारा किया गया था, जिसमें दो उल्लेखनीय मदरसे औरंगज़ेब (मृत्यु 1707) के शासनकाल के दौरान शुरू किए गए थे। पहला, लखनऊ में फ़िरंगी महल ("विदेशियों का घर"), सीखने का एक परिवार संचालित केंद्र था (हालाँकि शुरू में यह मदरसा नहीं था), जबकि दूसरा दिल्ली में मदरसा रहीमिया था, जिसका पहले ज़िक्र किया जा चुका है।

सूफ़ीवाद में गुरु-शिष्य (पीर-मुरीद) संबंध के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। यह व्यक्तिगत और आध्यात्मिक दोनों था। ... गुरु छात्र के पालन-पोषण (तरबियत) के लिए और रहस्यवादी पथ (सुलूक) के साथ मार्गदर्शन करने के लिए ज़िम्मेदार था। ... गुरु को धर्मपरायणता और शिक्षा का एक आदर्श माना जाता था; इसलिए उनके प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता महत्वपूर्ण थी और मनोवैज्ञानिक रूप से इच्छाओं (नफ़्स) के त्याग के कार्य के रूप में समझा जाता था। उनके शिष्यों ने सभी मामलों में मार्गदर्शन के लिए उनकी ओर देखा।

एक शिक्षक के मार्गदर्शन में इस्लामी ग्रंथों, विशेष रूप से क़ुरआन और हदीस (पैग़ंबर की परंपराओं) का अध्ययन करना इस प्रकार ज्ञानपरक और एक आध्यात्मिक-नैतिक आयाम रखता था, जिसमें पैग़ंबर की जीवनी ने अनुकरण की रूपरेखा और मॉडल प्रदान किया। यहाँ दो बिंदु ध्यान देने योग्य हैं: पहला, ज्ञान के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरण पर ज़ोर देने का मतलब था कि स्वयं के ज्ञान अर्जन को महत्व नहीं दिया गया था, क्योंकि शिक्षक से जो सीखा गया था, वह लिखित से बहुत आगे जाना माना जाता था। (देखें-मूसा 2015)। दूसरा, मौखिक शब्द को लिखित पर वरीयता दी गई, हालाँकि दोनों का प्रयोग आगे-पीछे किया गया था। जैसा कि मेसिक (1995) ने यमन में ज्ञान प्राप्त करने के प्रसारण के अपने अध्ययन में समझाया, लिखित पर मौखिक का मूल्यांकन क़ुरआनी वह्य (प्रकाशना) की मौखिक प्रकृति से सिद्ध होता है। एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि, हालाँकि राजनैतिक रूप से शक्तिशाली संरक्षकों ने समय-समय पर मदरसों की स्थापना की, लेकिन पूर्व-औपनिवेशिक शिक्षा की संभावना इस प्रकार थी जैसे किसी मदरसे में, किसी शिक्षक के घर या किसी मस्जिद में। इससे यह पता चलता है कि अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान विद्वानों और सूफ़ियों का फ़िरंगी महल परिवार किस तरह काम करता था।

2014 से 2019 तक

2014 भारतीय राजनीति में एक और महत्वपूर्ण वर्ष था, क्योंकि इसने एक बार फिर भाजपा को केंद्र में सत्ता में ला दिया। भाजपा 1996 से 2004 तक सत्ता में रही, ज़्यादातर अटल बिहारी वाजपेयी (मृत्यु 2018) के प्रधानमंत्रित्व काल में। इस बार गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधान मंत्री बने। उनकी राजनीति वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के प्रतिनिधित्व वाले पुराने पहरेदार भाजपा नेताओं से बहुत अलग है। उन नेताओं ने अपनी हिन्दू राष्ट्रवादी बयानबाज़ी को कम करते हुए ओ.बी.सी. वोट को आकर्षित करने और एक सत्तारूढ़ गठबंधन बनाने के लिए अन्य पार्टियों (यहाँ तक कि सी.पी.आई. [एम] सहित) के साथ गठबंधन करने की कोशिश की (जैफ़रलॉट 2021:23-26)। लेकिन वह समय दूसरा था। जैफ़रलॉट ने लिखा है कि कैसे नरेंद्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी लोकलुभावन नीतियाँ, जो गुजरात में सम्मानित और अब राष्ट्रीय मंच पर स्थानांतरित हो चुकी हैं, मुसलमानों को एक दुश्मन के रूप में प्रस्तुत करके नौकरियों से वंचित ओ.बी.सी. मतदाताओं के "नाराज़ युवाओं" की कुंठा को समाप्त करने में सफल हुई हैं (उपर्युक्त: 108)। उसने अत्यंत चतुराई से "जातीय एवं धार्मिक राष्ट्रवाद" के द्वारा ग़रीबों और वंचितों (जैसे शहरी झुग्गीवासियों, महिलाओं, दलितों, और समाज के अन्य पिछड़े लोगों) का समर्थक बनकर, उनके जीवन में कोई परिवर्तन लाए बिना भाजपा की लोकप्रियता को बढ़ाते हुए भारत में धार्मिक घृणा और विभाजन की एक नई राजनीति का निर्माण किया है।

2017 में, जब यू.पी. ने अपनी ख़ुद की भाजपा राज्य सरकार चुनी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। इससे पहले, योगी आदित्यनाथ पूर्वी यू.पी. के गोरखपुर शहर में गोरखनाथ मठ के मुख्य पुजारी (महंत) थे, जिनका बीसवीं शताब्दी के मध्य तक शिया और सूफ़ियों के साथ घनिष्ठ संबंधों का इतिहास था। बाउलियर लिखते हैं: "गोरखपुर मठ बुनकरों

से घिरा हुआ है, जिनकी कार्यशालाएँ पारंपरिक रूप से गणित द्वारा दी गई भूमि पर होती हैं। मुस्लिम बुनकर मंदिर को अपना मानते थे और इसके मुख्य त्योहार माघ संक्रांति मेले में बड़ी संख्या में आते थे। इस महीने भर चलने वाले त्योहार के दौरान, कई अस्थायी दुकानें मुसलमानों द्वारा आयोजित की जाती हैं, और गोरखपुर में, मुसलमानों को मठ का वोट बैंक भी माना जाता था" (बाउलियर 2020: पैरा- 8)। अब हालाँकि मुसलमानों से नफ़रत गोरखनाथ पंथियों के स्तंभों में से एक है (उच्च जातियों का समर्थन दूसरी बात है)। योगी आदित्यनाथ ने कम उम्र से ही, जब वे केवल 26 वर्ष के थे, भाजपा के टिकट पर 1998 में सांसद चुने जाने पर, धर्म और राजनीति को जोड़ दिया, (उपर्युक्त: पैरा-17)। अपनी इस भूमिका में, उन्होंने एक गाय संरक्षण समाज की शुरुआत की, बाद में इसे हिंदू युवा वाहिनी (HYV) नामक एक सशस्त्र बल में परिवर्तित कर दिया। (उपर्युक्त.: पैरा 21; जैफ़रलॉट 2021: 222-23)

प्रेस रिपोर्ट हमें कुछ झलक देती है कि इस शासन ने यू.पी. के मदरसों को कैसे प्रभावित किया है। लड़कों के कुछ मदरसों के ख़िलाफ़ आतंकवाद के आरोपों के अलावा, संचालकों को भारत के प्रति अपनी वफ़ादारी साबित करने के लिए स्वतंत्रता दिवस पर उनके समारोहों की वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए कहा गया। भ्रष्टाचार और सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप भी लगाए गए हैं। विडंबना यह है कि भाजपा सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के प्रति अपनी बयानबाज़ी को "सशक्तीकरण" का नाम दिया, विशेष रूप से ट्रिपल तलाक़ (जिसे भारतीय सुप्रीम कोर्ट 2018 में असंवैधानिक घोषित कर चुका है) के मुद्दे के संबंध में। इंडियन एक्सप्रेस ने 2017 में रिपोर्ट दी थी कि बी.जे.पी. ने इस विषय पर सेमिनार आयोजित करने की योजना बनाई है, "मदरसों में, जहाँ महिलाओं के अधिकारों के विशेषज्ञ मुस्लिम महिलाओं को उनके क़ानूनी अधिकारों पर संबोधित करेंगे और उन्हें सशक्तीकरण पर सलाह देंगे" (लालमणि वर्मा, इंडियन एक्सप्रेस, 17 अप्रैल, 2017)। आम तौर पर, मदरसों के आधुनिकीकरण का विमर्श ही भाजपा सरकार को इसपर नियंत्रण रखने की अनुमति देता है, कि मदरसों में क्या और कैसे पढ़ाया जाए।

निष्कर्ष

इस अध्याय में पूर्व औपनिवेशिक काल से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा के इतिहास का पता लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में भारत में मदरसा शिक्षा का एक विशिष्ट समृद्ध इतिहास है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण मदरसे - देवबंद से लेकर नदवा और फ़िरंगी महल तक - इस राज्य में पैदा हुए हैं। हालाँकि, आज मदरसा शिक्षा को भीतर और बाहर से अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मदरसों पर आंतरिक दबाव अंग्रेज़ी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे विषयों को पढ़ाने की आवश्यकता से संबंधित है, जो मदरसा स्नातकों को पारंपरिक दर्से-निज़ामी पाठ्यक्रम के अध्ययन के प्रमुख क्षेत्रों को संरक्षित करते हुए व्यवसायों में प्रवेश करने में सक्षम बनाता है। इस बीच, भारतीय राज्य से मदरसों पर बाहरी दबाव बढ़ रहा है, जो उन्हें राष्ट्र-विरोधी, पुरातन और अप्रासंगिक के रूप में देखता है। न केवल ये आरोप निराधार हैं, बल्कि जैसा कि इस अध्याय में दिखाया गया है, मदरसों ने भारत के मुसलमानों के लिए सामुदायिक संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और निभाना जारी रखा है।

6. उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बीच प्रवास तथा आदान-प्रदान

परिचय

प्रवासन पर बड़ी मात्रा में साहित्य रहा है जिसमें दुनिया भर में आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक परिवर्तनों के साथ इसके अंतर्संबंध पर ज़ोर देता है, और नीतिगत मुद्दों पर इसके व्यापक प्रभाव हैं (कैसल, 2010; गोल्डिन, कैमरून और बलराजन, 2011; ट्रायंडाफ़िलिडौ, 2018; संयुक्त राष्ट्र, 2020)। सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2030 एजेंडे की उपलब्धि के संदर्भ में प्रवासन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है (संयुक्त राष्ट्र, 2019ए)। यह बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का पैमाना बढ़ रहा है और विश्व स्तर पर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या लगभग 272 मिलियन है। जिनमें से दो-तिहाई श्रमिक प्रवासी हैं जो कि वैश्विक आबादी का लगभग 3.5 प्रतिशत हैं। (संयुक्त राष्ट्र, 2020)। भारत अपनी कुल आबादी के हिस्से के रूप में अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों का लगभग 0.4 प्रतिशत है (संयुक्त राष्ट्र, 2019बी)। लगभग 7.0 मिलियन भारतीय प्रवासी छह खाड़ी सहयोग परिषद (जी.सी.सी.) देशों में केंद्रित हैं, जहाँ संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई.) में 2.6 मिलियन के साथ सबसे अधिक भारतीय प्रवासी हैं, इसके बाद सऊदी अरब (2.4 मिलियन), और कुवैत (0.7 मिलियन) हैं (जी.एल.एम.एम. 2016)। हालाँकि, यह देखा गया है कि खाड़ी देशों में प्रवासियों का एक बड़ा अनुपात अकुशल या अर्ध-कुशल अनुबंध श्रमिकों का है (भारत सरकार, 2011; भगत तथा अन्य, 2016)।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 1993 में भारत की समग्र अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन दर प्रति 1000 जनसंख्या पर 1.4 थी, जो वर्ष 2007-08 में बढ़कर 2.3 हो गई। उत्तर प्रदेश में कई गुना वृद्धि देखी गई है, जहाँ वर्ष 1993 में अंतरराष्ट्रीय प्रवासन दर 0.5 प्रति 1000 जनसंख्या थी और वर्ष 2007-08 में तीन गुना (1.5 प्रति 1000 जनसंख्या) से अधिक हो गई है। (आकृति 1)।

Figure 1: Emigration Rate per 1000 population,NSS 1993, 2007-08

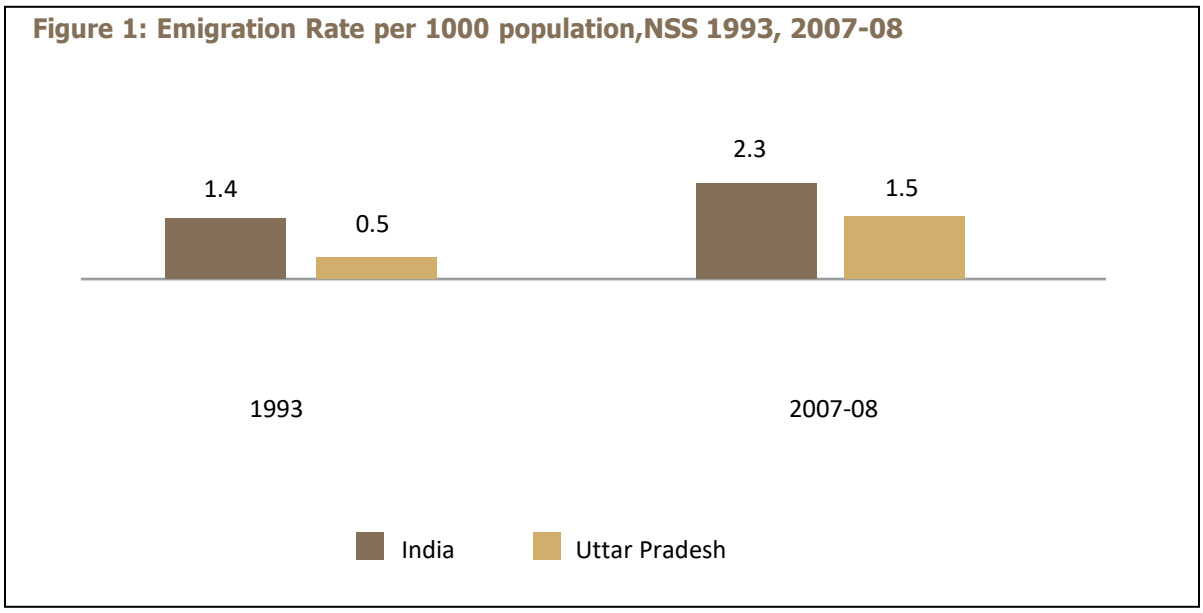

उत्प्रवास का एक सीधा परिणाम धन का आदान-प्रदान उसके परिणामस्वरूप प्रवासियों और उनके परिवारों पर पड़नेवाले प्रभाव हैं (भगत तथा अन्य, 2013)। कई प्रयोगसिद्ध अध्ययनों में बताया है गया है कि भोजन और पोषण तक पहुँच, बेहतर चिकित्सा सुविधाओं और बेहतर स्वास्थ्य चाहने वाले व्यवहार प्रवासन और प्रेषण से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं (अली और भगत, 2016; रैपोपोर्ट और डॉकियर, 2006) । उत्तर प्रदेश में, कई परिवारों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण पूरक विदेशों से और भारत के भीतर प्रेषण प्राप्तियाँ (रसीदें) हैं। चित्र 2 उत्तर प्रदेश में विभिन्न समय-अवधि में प्रेषण प्राप्त करने वाले परिवारों का प्रतिशत दर्शाता है। यह दो डेटा स्रोतों, यानी 1993 और 2007-08 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) और 2004-05 और 2011-12 के भारत मानव विकास सर्वेक्षण (IHDS) से लिया गया है। पिछले एक वर्ष के दौरान प्रेषण प्राप्त करने वाले परिवारों के प्रतिशत के संदर्भ में इसका अनुमान लगाया गया है। एन.एस.एस. के आंकड़ों के अनुसार, घरों में धन प्रेषण का प्रतिशत 1993 में 4 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 23 प्रतिशत हो गया है।

Figure 2: Remittances recieving households (%)

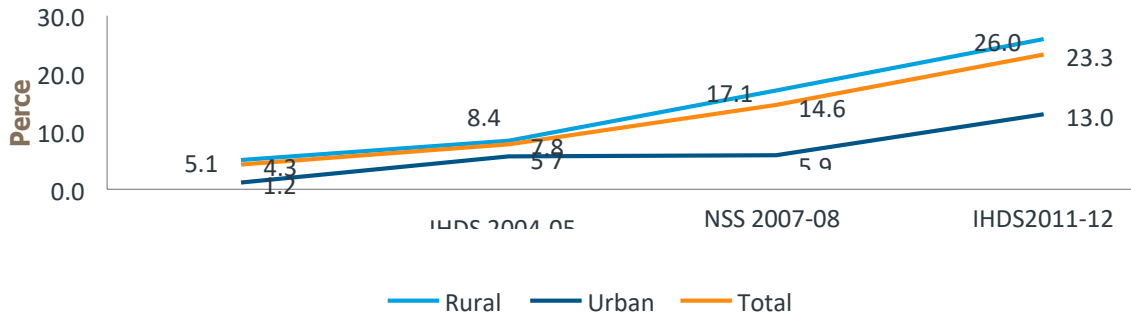

Source: Author own calculation based on NSS 1993, 2007-08 and IHDS, 2004-05, 2011-12

अन्य संदर्भ अवधि, आई.एच.डी.एस. डेटा 2004-05 में 8 प्रतिशत से 2011-12 में 23 प्रतिशत तक नाटकीय वृद्धि दर्शाता है। कुल मिलाकर, 2010-11 की अवधि के भीतर, राज्य के कुल परिवारों में से 23 प्रतिशत ने आई.एच.डी.एस. 2011-12 के अनुसार प्रेषण प्राप्त किया है। इसके अलावा, प्रेषण प्राप्त करने वाले परिवारों और इसके बाद प्रेषण प्राप्त करने वाले परिवारों में वृद्धि के कारण यह महत्वपूर्ण पाया गया है। यह उल्लेखनीय है कि मुस्लिम परिवारों में ग़रीबी में कमी और शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में निवेश में वृद्धि पर प्रेषण का काफ़ी सकारात्मक प्रभाव देखा गया है।

चूंकि मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति निम्न स्तर की है और उच्च स्तर की वंचितता, प्रवासन और प्रेषण मुसलमानों के लिए संभावित महत्व रखते हैं (Czaika, 2012)। विभिन्न सर्वेक्षणों ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अस्पतालों, स्कूलों और सड़कों जैसी विभिन्न सुविधाओं में मुसलमानों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव को उजागर किया है (भारत सरकार, 2008)। आधिकारिक स्रोतों से धर्म के आधार पर प्रवासियों के बारे में कोई विस्तृत डेटा उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, एन.एस.एस.ओ. के 64 वें दौर के आंकड़ों से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के कुल प्रवासियों में मुसलमानों की संख्या लगभग 51.1 प्रतिशत है। वर्तमान अध्ययन उत्तर प्रदेश में उत्प्रवास और प्रेषण पर उपलब्ध आंकड़ों को सारांशित करता है और राज्य में मुस्लिम परिवारों पर इसके परिणामों की और अधिक पड़ताल करता है।

Table 1: Background characteristics of emigrants in Uttar Pradesh and India, NSSO, 2007-08 (in percent)

Background Characteristics	Uttar Pradesh		All India	
	%	N	%	N
Religion				
Hindu	48.2	95	52.1	2,653
Muslim	51.1	126	28.8	1,330
Others	0.7	7	19.1	1,184
Total	100	228	100	5,167
Reason for migration				
Employment	78.2	181	80.4	4,195
Marriage	16.9	31	9.9	321
Migration of parent /earning member of family	4.7	13	5.8	438
Studies	0.2	3	2.9	146
Others	0	0	1.00	67
Total	100	228	100	5,167
Sex				
Male	79.2	182	81.7	4,227
Female	20.8	46	18.3	940
Total	100	228	100	5,167

Source: Unit-level data from NSS 64th round; N= Sample Size.

जैसा कि उपर तालिका 1 में दिखाया गया है, रोज़गार पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश से भी प्रवास का प्रमुख कारण है। परिणामों से पता चला कि समस्त भारत से 80 प्रतिशत की तुलना लगभग 78.2 प्रतिशत प्रवासियों ने रोज़गार को उत्तर प्रदेश से प्रवास का कारण बताया। हालाँकि, उत्तर प्रदेश से विवाह संबंधी उत्प्रवास समस्त भारत की तुलना में अधिक हैं। तालिका 1 दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश के 16.9 प्रतिशत प्रवासियों ने विवाह को प्रवास का कारण बताया, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह केवल 9.9 प्रतिशत है। साथ ही, उत्तर प्रदेश से केवल 0.2% प्रवास शिक्षा प्राप्त करने के लिए है जबकि यह राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 3% है। हालाँकि, भारत के कुल प्रवासियों में मुसलमानों की संख्या 28.8 प्रतिशत है, लेकिन कुल मुस्लिम प्रवासियों में 51.1 प्रतिशत का एक बड़ा हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश से है।

हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के बीच प्रवास की बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई है। यह उत्तर प्रदेश में क्रॉस-सेक्शनल डेटा की मदद से प्राप्त किया गया है। यह बताया गया है कि प्रवासियों में आधे से अधिक मुसलमान थे। इसके अलावा, यह देखा गया है कि शैक्षिक स्तर और परिवारों की आर्थिक स्थिति प्रवासन के आवश्यक निर्धारक हैं। इसके अलावा, लिंगों के बीच यह बताया गया है कि उत्प्रवास मुख्य रूप से एक पुरुष चयनात्मक प्रक्रिया है। इसके

अतिरिक्त, यह गंभीर रूप से देखा गया है कि अधिकांश उत्प्रवासी निम्न सामाजिक-आर्थिक वर्ग के थे जो मुख्य रूप से बेहतर स्थानीय आर्थिक अवसरों के अभाव के कारण प्रवासन की बढ़ती आकांक्षा को दर्शाता है। यह प्राथमिक डेटा निष्कर्षों के अनुसार है जो दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के कुल प्रवासियों में मुसलमानों का योगदान लगभग 58.3 प्रतिशत है और गंतव्य पर बेहतर जीवन को उत्प्रवास के प्रमुख कारण के रूप में उद्धृत किया गया है। यह बताया गया है कि लगभग 49.3 प्रतिशत प्रवास गंतव्य पर बेहतर जीवन के कारण हुआ है, जिसके बाद आजीविका समस्या (21.4 प्रतिशत) और पड़ोस प्रभाव (19.7 प्रतिशत) है जैसा कि तालिका **2** में दिखाया गया है।

Table 2: Percentage distribution of emigrants by background characteristics

Background Characteristics	%	N
Religion		
Hindu	**41.7**	**144**
Muslim	**58.3**	**201**
Total	**100**	**345**

Source: Primary data collected by first author, 2014-15

उत्तर प्रदेश और विशेष रूप से मुसलमानों में उत्प्रवास और प्रेषण के निर्धारकों का पता लगाना दिलचस्प होगा। नीचे दी गई तालिका 3 में दो आश्रित चरों के साथ तार्किक प्रतिगमन विश्लेषण के निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं:

i) ऐसे परिवार जिनके पास कम से कम एक प्रवासी हो ऐसे परिवारों के मुक़ाबले में जिनमें कोई प्रवासी नहीं है।

ii) प्रेषण प्राप्त करनेवाले घरानों के मुक़ाबले ऐसे घराने जिन्हें कोई प्रेषण प्राप्त नहीं होता।

उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम प्रवास का विषम अनुपात तीन गुना अधिक है। विषम अनुपात और भी अधिक बढ़ जाता है, अर्थात भारत के लिए 3.79। इससे पता चलता है कि ग्रामीण-शहरी निवास, मासिक प्रति व्यक्ति खपत व्यय (एम.पी.सी.ई.), सामाजिक स्थिति, भूमि के स्वामित्व और घरेलू आकार के माध्यम से मापी जाने वाली आर्थिक स्थितियों को नियंत्रित करने के बावजूद, हिंदुओं के विपरीत मुसलमानों में प्रवास तीन गुना अधिक है। मुसलमानों के बीच बेरोज़गारी का एक उच्च स्तर उत्प्रवास के लिए दबाव बनाने वाले कारकों में से एक होने की संभावना है।

इसके अलावा, विषम अनुपात के परिणाम बताते हैं कि प्रेषण प्राप्त करने वाले परिवारों का अनुपात उत्तर प्रदेश में अपने हिंदू समकक्षों की तुलना में मुस्लिम परिवारों में डेढ़ गुना अधिक है। यह दर्शाता है कि बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार आर्थिक रूप से प्रेषण पर निर्भर हैं। दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश में शहरी परिवारों को उनके ग्रामीण समकक्षों की तुलना में कम प्रेषण प्राप्त हुआ। इसका तात्पर्य यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य में श्रमिकों का पलायन मुख्य रूप से ग्रामीण परिवारों से आजीविका रणनीति के रूप में होता है। इस तरह की गतिशीलता मुसलमानों की एक बड़ी संख्या को पलायन से प्रेषण को एक विकल्प और आय के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देखने के लिए मजबूर करती है (अली और भगत, 2016)। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में क्रॉस-सेक्शनल डेटा के उपयोग के साथ, वर्तमान अध्ययन रिपोर्ट करता है कि हाल के वर्षों में अंतरराष्ट्रीय प्रेषण प्राप्त करने की आवृत्ति में वृद्धि हुई है और पिछले अध्ययनों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय प्रेषण व्यक्तिगत, घरेलू और समुदाय के स्तर पर परिवर्तनों के एक बंडल में योगदान करते हैं।

Table 4: Percentage of emigrant households received remittances, mode of transfer and the person receivingremittances at home

Particulars	Emigrant households (n=328)
Remittances received	72.6
Religion	
Hindu	40.3
Muslim	59.7
requency of receiving remittances	
Monthly	50
Every Two month	17.8
Every three months	24.2
Every Six month	1.3
Whenever need arose	6.8
Amount of remittances received during last 12 months (in Rs.)	
Upto 50000	5.5
50001 to 100000	14.4
100001- 150000	24.6
150001- 200000	17
2000001 and above	38.6
Mean annual amount (in ₹)	2,37,255
Remittances received by	
Parents	41.5
Son/Daughter/Brother/Sister	3.4
Spouse	55.1
Mode of transfer remittances	
Through bank	56.8
Financial Institution	34.8
Electronic Money Order	0.9
Through relative/friends coming on leave	7.6
Total	100

परिणाम यह दर्शाता है कि मुस्लिम प्रवासी परिवार आर्थिक रूप से हिंदू परिवारों की तुलना में प्रेषण पर अधिक निर्भर हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रेषण प्राप्त करने की आवृत्ति नियमित थी, क्योंकि यह बताया गया था कि आधे प्रवासी परिवारों ने इसे मासिक आधार पर प्राप्त किया था। उत्प्रवासी परिवारों द्वारा प्राप्त विप्रेषण की औसत वार्षिक राशि 2.37 लाख रुपये (3476 यू.एस. डॉलर) थी और प्रवासी परिवारों में से लगभग पाँचवें ने पिछले एक वर्ष के दौरान **2** लाख रुपये और अधिक (2930 यू.एस. डॉलर) प्रेषण प्राप्त करने की सूचना दी थी।

चर्चा और निष्कर्ष

यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि परिणाम यह भी दर्शाता है कि प्रेषण न केवल उत्तर प्रदेश में प्रेषण प्राप्त करने वाले परिवारों के जीवन को नया रूप देता है, बल्कि अर्थव्यवस्था में विविधता लाने में भी योगदान देता है। प्रवासी परिवारों, समुदाय और गाँव के मुखिया के साथ नुमायाँ समूह तथा मुख्य सूचनादाता के साक्षात्कार से विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय प्रेषणों की जानकारी मिलती है और यह पता चलता है कि इन प्रेषणों के कारण गाँवों की ग़रीबी में कमी आई है। ग्राम प्रधान (गाँव के मुखिया) के साक्षात्कार से एक महत्वपूर्ण अवलोकन यह होता है कि 20 वर्षों से पहले कोई भी घर पूरी तरह से सुसज्जित नहीं था, लेकिन साक्षात्कार के समय अधिकांश घर अच्छी तरह से सुसज्जित और बेहतर सुविधाओं से लैस थे। गंतव्य पर ठहरने की अवधि पर विचार करना महत्वपूर्ण है जो प्रेषण भेजने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अन्य अध्ययनों के निष्कर्षों के अनुसार है जो दर्शाता है कि अपेक्षाकृत लंबी अवधि के लिए विदेशी प्रवासियों वाले परिवार वास्तव में बेहतर स्थिति में हैं (महापात्रो, 2016)।

इस अध्ययन में मूल स्थान के साथ-साथ गंतव्य क्षेत्र में प्रवासी परिवारों के प्रवास और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के अध्ययन में गंभीर डेटा अंतराल भी पाया गया है। यह गहराई से जानना महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में हिंदुओं की तुलना में प्रवास करने की प्रवृत्ति अधिक क्यों है। कौशल, उद्यमशीलता के माहौल और वित्तीय समावेशन के मामले में घरेलू श्रम बाज़ार की बाधाओं के मुक़ाबले विदेशों में नौकरी की तलाश करने के लिए उन्हें कौन से कारक मजबूर करते हैं। सऊदी अरब, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे जी.सी.सी. देशों के प्रमुख स्थलों पर उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समुदाय का एक व्यापक प्रवासन सर्वेक्षण उपयुक्त स्वास्थ्य कार्यक्रमों और नीतियों को तैयार करने में सहायक होगा जो सतत विकास लक्ष्यों को संबोधित करने में समावेशी हों।

7. उत्तर प्रदेश में मुस्लिम उद्यमियों की स्थिति

2018-2019 से मुसलमानों में बेरोज़गारी 9.95% बढ़ी। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बीच यह बढ़ी हुई बेरोज़गारी भारत में राष्ट्रीय औसत 7.23% से बहुत अधिक है। परंपरागत रूप से मुसलमान कृषि गतिविधियों में हैं, और पारंपरिक उद्योगों और शिल्प जैसे बुनाई, चूड़ी बनाने, लोहे की ढलाई, सिलाई, सूती कार्डिंग, बढ़ईगीरी, बेकिंग, बर्तन बनाने, क़ालीन बनाने, माँस बेचने और क़साई, ज़रदोज़ी और चिकनवर्क तथा अन्य कपड़ा संबंधी गतिविधियों में शामिल हैं। यू.पी. के विभिन्न क्षेत्र मुस्लिम कारीगरों और शिल्पकारों के शिल्प कौशल के लिए जाने जाते हैं। मुरादाबाद सजावटी धातु (एल्युमिनियम, स्टील और लोहे) के बर्तनों के लिए जाना जाता है, रेशम की साड़ियों और बुनाई के लिए प्रसिद्ध है वाराणसी, अलीगढ़ तालों के लिए लोकप्रिय है, लखनऊ का ज़रदोज़ी और चिकनकारी (धागे का काम) कई पर्यटकों को आकर्षित करता है। भदोही क़ालीन का निर्माण क्षेत्र है और कानपुर भारत का सबसे बड़ा चमड़ा निर्माण केंद्र है। इसी तरह, सरहनपुट के फ़र्नीचर ने पूरे भारत और दुनिया में ध्यान आकर्षित किया। आगरा अपने जूतों के लिए जाना जाता है। ये क्षेत्र और शिल्प सदियों से मुस्लिम कारीगरों और उद्यमियों के कारण फल-फूल रहे हैं। कुछ क्षेत्र और शिल्प भारत की बदलती सामाजिक-राजनैतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के कारण संघर्ष कर रहे हैं। हालाँकि, कुछ ने अब तक अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है और सभी बाधाओं के बावजूद जीवित रहे। बदलती सामाजिक-आर्थिक स्थिति के साथ, मुस्लिम विभिन्न क्षेत्रों की खोज कर रहे हैं, जैसे कि अचल संपत्ति, शिक्षण संस्थान जैसे स्कूल और कोचिंग कक्षाएँ, खाद्य प्रसंस्करण, होटल और रेस्तरां, वेब डिज़ाइनिंग, आई.टी. और आई.टी. सेवाएँ, तथा सामाजिक उद्यम।

Challenges of Starting and Managing Business

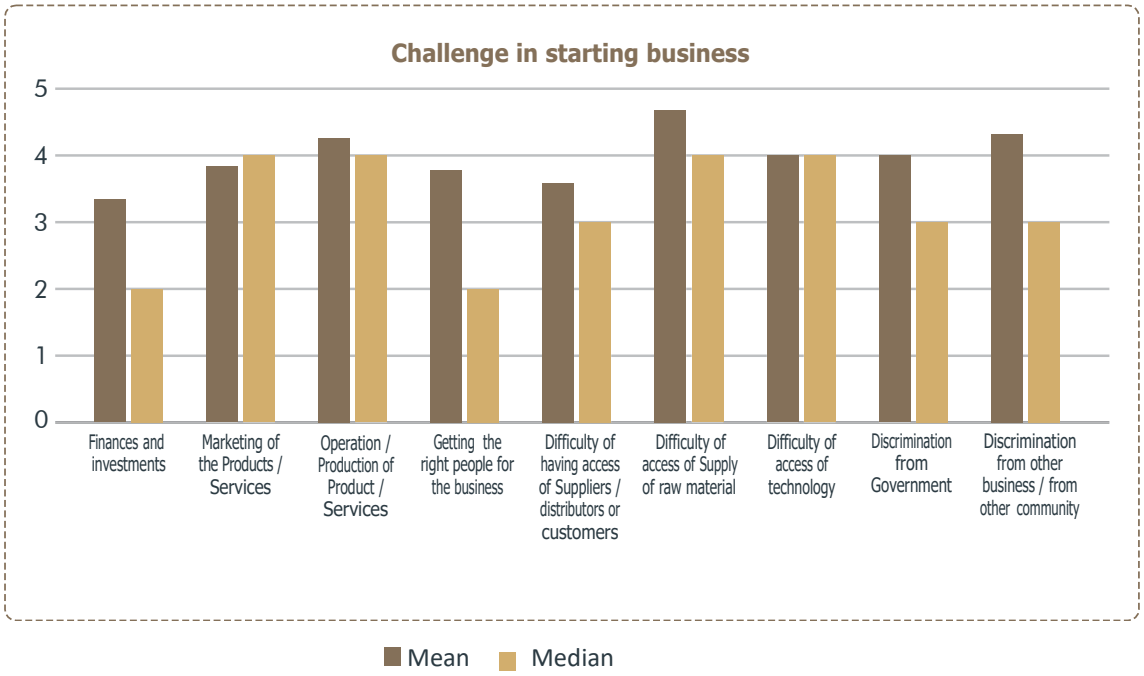

सर्वेक्षण के परिणामों से पता चला है कि यू.पी. के मुस्लिम उद्यमियों को कच्चे माल की आपूर्ति, उत्पाद / सेवाओं के संचालन और उत्पादन और प्रौद्योगिकी तक पहुँच से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कुछ को सरकार और अन्य व्यापारिक समुदायों से भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

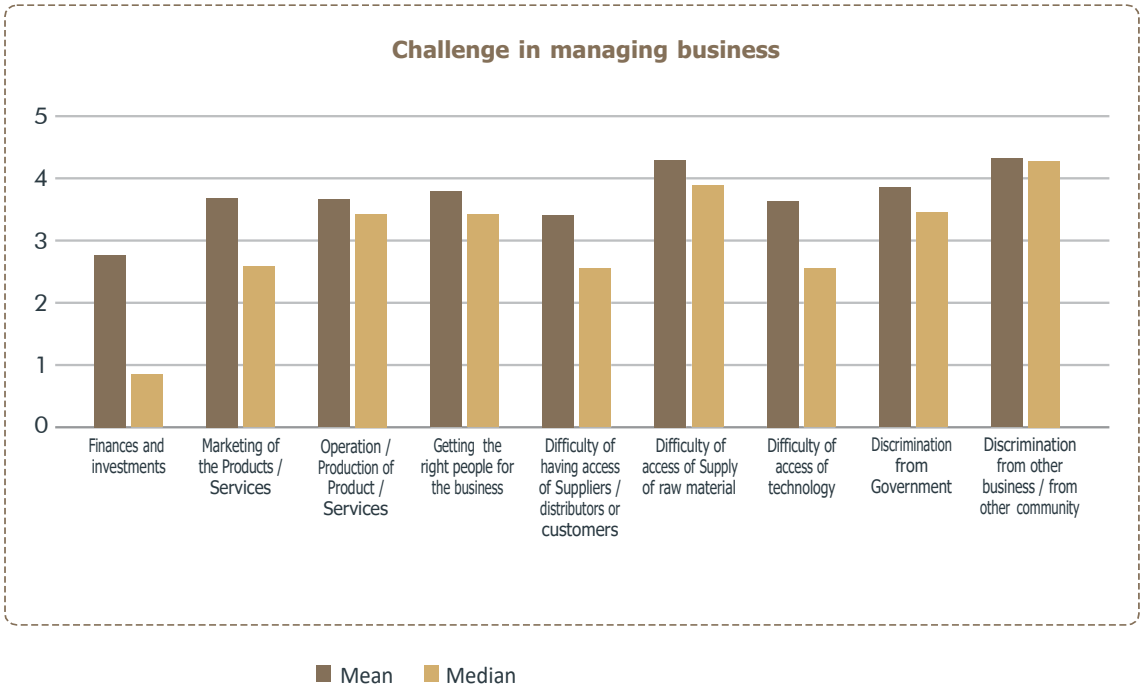

व्यवसाय के प्रबंधन में चुनौती

व्यवसाय के प्रबंधन की प्रमुख चुनौतियाँ हैं अन्य व्यवसायों और अन्य समुदायों से भेदभाव, कच्चे माल की आपूर्ति में कठिनाई, सरकार द्वारा बरता जानेवाला भेदभाव, और संचालन से संबंधित समस्याएँ तथा सही प्रकार के लोगों को प्राप्त करना। यह जानना बहुत दिलचस्प है कि व्यवसाय शुरू करने की तुलना में व्यवसाय के प्रबंधन में भेदभाव संबंधी चुनौतियाँ कहीं अधिक हैं। यह जानना भी दिलचस्प है कि यह पूछे जाने पर कि क्या उद्यमियों को सरकार या अन्य व्यावसायिक समुदायों से भेदभाव का सामना करना पड़ा, 48.6% ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, और लगभग इतनी ही संख्या में, 50% उत्तरदाताओं ने महसूस किया कि 2014 के बाद व्यवसाय करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। ।

समर्थन तंत्र का अभाव

उत्तर प्रदेश के मुस्लिम उद्यमियों ने साक्षात्कारों में साझा किया कि इन उद्यमियों के अस्तित्व और विकास के लिए समर्थन तंत्र की कमी संबंधित कारक है। पिछले कुछ वर्षों में रिफ़ा चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जैसे कई संगठनों ने कुछ गतिविधियाँ शुरू की हैं लेकिन इस प्रकार की गतिविधियाँ बहुत कम हैं।

वित्त की चुनौती

साक्षात्कारों में, कुछ उद्यमियों ने साझा किया कि, उन्हें वित्त से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई मुस्लिम उद्यमी बैंक ऋण लेना पसंद नहीं करते हैं। वैकल्पिक शरीअत (इस्लामी धर्म विधान) का अनुपालन करनेवाला वित्तीय सहायता तंत्र नहीं है जिससे व्यवसाय शुरू करने में एक बड़ी चुनौती पैदा होती है।

व्यवसायों को बंद करने में सरकार के सुविचारित प्रयास

उद्यमियों ने यह भी साझा किया कि कैसे सरकार उद्यमियों को माँस या चमड़े के व्यवसाय जैसे कुछ व्यवसाय करने के लिए हतोत्साहित कर रही थी। हालाँकि देश की बड़ी आबादी माँसाहारी है, फिर भी भाजपा और उसका मातृ संगठन आर.एस.एस. मुख्य रूप से ब्राह्मण (उच्च जाति), तथा हिंदू शाकाहारी समूह मुसलमानों पर गोमाँस की खपत और माँस बेचने तथा चमड़े के व्यवसाय के लिए हमले जारी रखते हैं। भाजपा शासित कई राज्यों ने बीफ़ खाने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हैदराबाद के माँस निर्यातकों में से एक ने निम्नलिखित चिंताओं को साझा किया,

“इस सरकार का मुख्य एजेंडा गुलाबी (माँस) व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाना है। दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर में समस्याएँ अधिक हैं। एफ़.एस.एस.ए.आई. और अन्य प्रमाण पत्र समय पर जारी नहीं किए जाते हैं, वे माँस निर्यात के लिए आवश्यक प्रमाणपत्रों का नवीनीकरण नहीं करते हैं। पहले दिए गए निर्यात लाभ भी काफ़ी कम हो गए हैं। हम मुंबई बंदरगाह पर एक समस्या का सामना कर रहे थे, हमारी खेप रोक दी गई थी, बंदरगाह के अधिकारी समय पर खेप भेजने में समस्या पैदा कर रहे थे। अनावश्यक दस्तावेज़ पेश करने के लिए कहा जाता है। इसलिए, सरकार और प्रशासन कई समस्याएँ खड़ी करते हैं, हालाँकि, माँस निर्यात देश में बहुत सारी विदेशी मुद्रा ला रहा है, इसलिए वे इस व्यवसाय पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। 2014 के बाद से, लगभग 50% व्यवसाय कम हो गया है। एक सरकारी निकाय IMEDA है जिसका काम विभिन्न देशों में हमारे कारोबार को बढ़ावा देना है लेकिन पिछले **6** साल से वे कुछ नहीं कर रहे हैं।” (एस.ए.के., हैदराबाद)। उत्तर प्रदेश (यू.पी.) में कानपुर के चमड़े के समूह के एक अन्य प्रतिवादी ने अपनी समस्याओं को बताया, “पिछले 2-3 वर्षों से हमें लगातार यू.पी. सरकार द्वारा निशाना बनाया और परेशान किया जा रहा है। अब वे उद्योग बंद कर देते हैं, और हमें नुक़सान होता है। एक और उद्योग है, बल्कि उनके पास भी लगभग हमारे जैसे ही मुद्दे हैं। वे होज़री उद्योग और मृत प्राय उद्योग हैं, उनके पास भी प्रदूषण फैलानेवाली वही सामग्री है जो हमारे पास है, लेकिन माघ मेला (मानसून धार्मिक मेला) के दौरान, उनके कारख़ाने सरकार द्वारा एक महीने के लिए बंद कर दिए गए थे, लेकिन बाद में सभी को फिर से खोल दिया गया, क्योंकि इन उद्योग मालिकों में से अधिकांश ग़ैर-मुस्लिम हैं और इसके विपरीत, हमारे कारख़ाने लगातार **5** महीने तक बंद रहे। यह एक बड़ा अंतर है जिसे हम देख सकते हैं।” (ए.एच., कानपुर)।

उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र का अभाव

“हालाँकि हमारे पास एक बड़ा ताला उद्योग है, ए.एम.यू. के इंटर्नशिप के लिए जाने वाले छात्रों को छोड़कर, हमारे पास शायद ही कोई उद्योग-अकादमिक संबंध हो।” (एम.के., अलीगढ़)

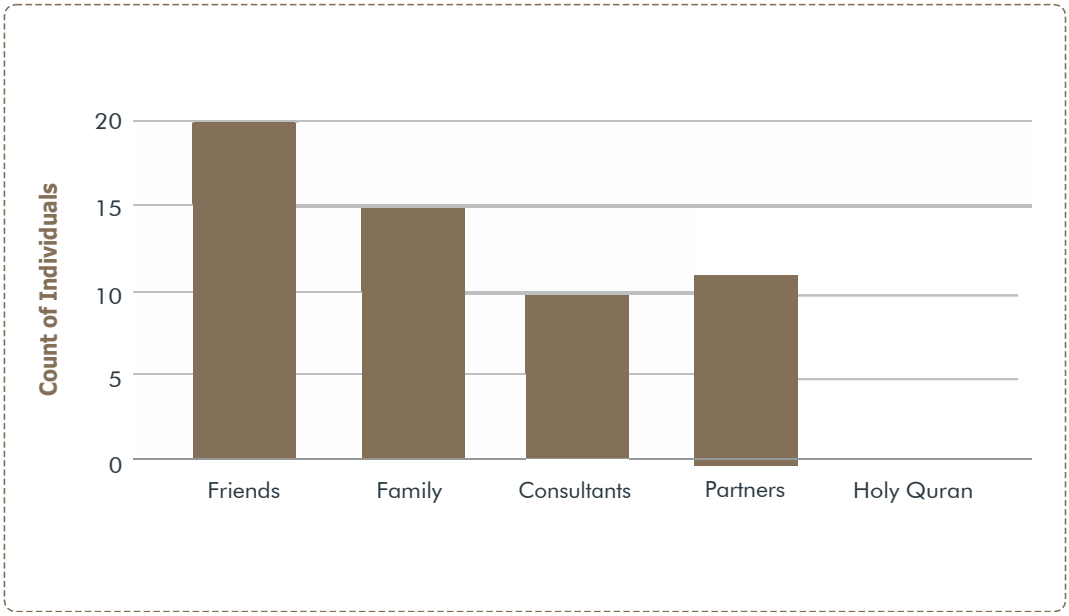

सर्वेक्षण के परिणाम से संकेत मिलता है कि यू.पी. में मुस्लिम उद्यमी किसी भी व्यावसायिक समस्या का सामना करने पर ज़्यादातर परिवार या दोस्तों की मदद लेते हैं। कभी-कभी उन्हें सलाहकारों और व्यावसायिक भागीदारों की मदद भी मिलती है। केवल 40% उत्तरदाताओं को धार्मिक और सामुदायिक संगठनों से सहायता मिली। अधिकतर उन्हें इन संगठनों से नैतिक समर्थन और कनेक्शन मिलते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में बोहरा, मेमन, चेलिया, ख़ोजा और मालाबारी मुस्लिम समुदायों द्वारा चलाए जा रहे कई सामुदायिक संगठन हैं जो अपने समुदाय के सदस्यों को व्यापार और उद्यमिता में मदद करते हैं। हमने देखा कि, मुस्लिम समुदाय संगठित नहीं हैं और व्यापार और उद्यमिता में साथी समुदाय के सदस्यों की मदद करने के लिए कोई सामूहिक प्रयास नहीं हैं।

सरकारी सहायता

यू.पी. सरकार ने वर्ष **2018**[18] में एक ज़िला, एक उत्पाद (ओ.डी.ओ.पी.) योजना के तहत अल्पसंख्यक उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एन.एम.डी.एफ़.सी.) द्वारा वित्तीय सहायता कार्यक्रम की पेशकश की गई है। एन.एम.डी.एफ़.सी. के आंकड़ों के अनुसार, 10 वर्षों के बाद, यू.पी. सरकार ने वित्त वर्ष 2020 और 2021 में क्रमशः 10 र करोड़ और 21 करोड़ रुपयों का वितरण किया। बंगाल और केरल की तुलना में जिसने वित्त वर्ष 2119 में 305 करोड़ रुपयों और 241 करोड़ रुपयों का वितरण किया।[19]

[18] https://www.business-standard.com/article/economy-policy/up-govt-announces-sops-for-sc-st-minority-entrepreneurs under-odop-scheme-118091100681_1.html

[19] https:// Economictimes.indiatimes.com/news/elections/assembly-elections/uttar-pradesh/uttar-pradesh-to-revive-lending Schemes-to-reach-out-to-minorities/articleshow/85943957.cms? से=एमडीआर

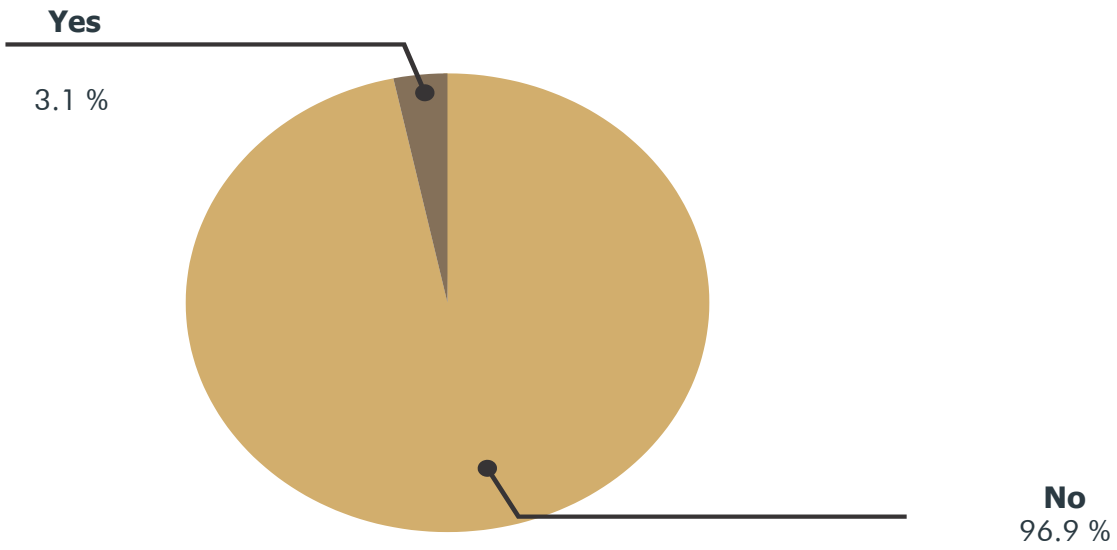

जैसा कि ऊपर दिए गए आंकड़े में दर्शाया गया है, अधिकांश उत्तरदाताओं (96.9%) को व्यवसाय शुरू करने या प्रबंधित करने के लिए सरकार से कोई समर्थन नहीं मिला। साक्षात्कारों में, हमने यह भी देखा कि उद्यमियों को यू.पी. राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक उद्यमियों के लिए दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं और प्रोत्साहनों के बारे में जानकारी नहीं है। जैसा कि नीचे दिए गए ग्राफ़ में दिखाया गया है, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता की कमी, नौकरशाही और भ्रष्टाचार, बहुत अधिक दस्तावेज़ और सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों से लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों का न होना, इसके प्रमुख कारण हैं, जिसके कारण सरकारी प्रोत्साहन और समर्थन नहीं मिल रहा है।

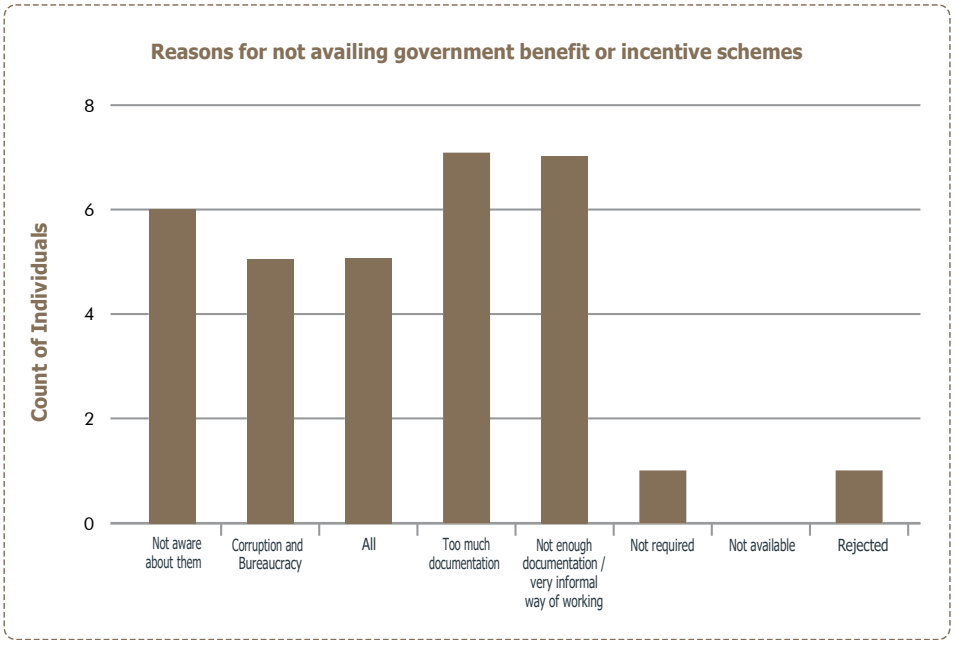

BIBLIOGRAPHY

- Afridi, F., 2017. Governance and public service delivery in India, IZA – Institute of Labor Economics, Bonn, at https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2998965.
- Ahmad, I. (2003). A different jihad: Dalit Muslims' challenge to Ashraf hegemony. Economic and Political Weekly, 4886–4891.
- Ahmad, Imtiaz (1974), "Economic and Social Changes," in Muslims in India, ed. Zafar Imam, Orient Longman, New Delhi.
- Ahmad, Imtiaz and N.C. Saxena (1994), "Caste, Land and Political Power in Uttar Pradesh," in K.L. Sharma (ed.), Caste and Class in India, Rawat Publications, Jaipur.
- Aidt, T. S., Golden, M. A., & Tiwari, D. (2011). Incumbents and criminals in the Indian national legislature
- Ali, I. (n.d.). Social Strati□cation among Muslims and its Implications for Access to Health Services:An Exploratory Study in Mirzapur, Uttar Pradesh. 1000, 5.
- Ansari, Iqbal Ahmad (2006), Political Representation of Muslims in India 1952-2004, Manak Publications, New Delhi.
- ASER 2019: Annual Status of Education Report, PRATHAM, New Delhi
- Asher, S., Novosad, P., & Rafkin, C. (2018). Intergenerational Mobility in India: Estimates from New Methods and Administrative Data. World Bank Working Paper.
- Basant, R., & Shariff, A. (2010). Handbook of Muslims in India: Empirical and policy perspectives. OUP Catalogue.
- Belkacem, Belmekki (2007), "The Impact Of British Rule On The Indian Muslim Community In The Nineteenth Century," ES: Revista de □lología inglesa, Issue 28, Ediciones Universidad de Valladolid, downloaded from academia.edu.
- Bhalotra, S., Valente, C., & Van Soest, A. (2010). The puzzle of Muslim advantage in child survival in India. Journal of Health Economics, 29(2), 191–204.
- Bharadwaj, Prashant, Asim Khwaja & Atif Mian (2009), The Partition Of India: Demographic Consequences, SSRN Scholarly Paper No. ID 1294846, Harvard University, Centre for International Development, Accessed from papers.ssrn.com.
- Bhatty, Z. (1973). Status and Power in a Muslim dominated village of Uttar Pradesh. Caste and Social Strati□cation Among the Muslims. Delhi: Manohar.
- Bloem, M. (2007). The 2006 WHO child growth standards.
- Borooah, V. (2010). Inequality in health outcomes in India: The role of caste and religion.
- Brainerd, E., & Menon, N. (2015). Religion and Health in Early Childhood: Evidence from South Asia. Population and Development Review, 41(3), 439–463. https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2015.00067.x
- Brass, P. 1997. Theft of an Idol: Text and Context in the Representation of Collective Violence. Princeton, NJ: Princeton University Press

- Centre for Policy Dialogue (1997): Crisis in Governance, Dhaka: The University Press
- Chandramouli, C., & General, R. (2011). Census of india 2011. Provisional Population Totals. New Delhi: Government of India, 409–413.
- Chandrasekhar S and Nirupam Mehrotra 2016: Doubling Farmers' Incomes by 2022, What Would It Take? Economic & Political Weekly April 30, vol II no 10
- CRISIL (2018): CRISIL Inclusix 2016, Published by CRISIL a Standard and Poor Global Company, Feb 2018, Vol.4, pdf copy accessed on 10.11.21 , 21:34 IST.
- Dandona, R., Pandey, A., & Dandona, L. (2016). A review of national health surveys in India. Bulletin of the World Health Organization, 94(4), 286-296A. https://doi.org/10.2471 /BLT.15.158493
- Diwakar, D. M. (2009). Intra-regional disparities, inequality and poverty in Uttar Pradesh.Economic and Political Weekly, 264-273.
- Drèze, J., Gupta, P., Khera, R. and Pimenta, I., 2018. Casting the Net: India's Public Distribution System after the Food Security Act. Available at SSRN 3177691.
- Fabrizio, F. (2021). Hindu-Muslim differentials in child mortality in India. 27.
- Falahi, M. A. (2015). Caste and Caste Based Discriminations Among Indian Muslims.
- Fazal, D. T. (n.d.). Millennium Development Goals and Muslims of India. 24.
- Fazal, T. (2010). Between Identity and Equity: An Agenda for Af rmative Action for Muslims. InReligion, Community and Development (pp. 240–259). Routledge India.
- FOCUS (2006): "Focus on Children Under Six," Abridged Report, Citizens' Initiative for the Rights of Children Under Six, New Delhi.
- Geruso, M., & Spears, D. (2018a). Neighborhood sanitation and infant mortality. American Economic Journal: Applied Economics, 10(2), 125–162.
- Geruso, M., & Spears, D. (2018b). Neighborhood Sanitation and Infant Mortality. American Economic Journal: Applied Economics, 10(2), 125–162. https://doi.org/10.1257/ app.20150431
- Gill, S. S. (1999). The pathology of corruption. Harper Collins Publishers India.
- Global Environment And Welfare Society (Undated), Socio- Economic Disability And Unemployment Problems Among Muslims Of Other Backward Classes, Project Report submittedto Planning Commission, New Delhi.
- GOI (2006), Social, Economic and Educational Status of The Muslim Community of India-A Report (Sachar Committee Report), Prime Minister's High level Committee, Cabinet Secretariat,GOI, Nov 2006.
- GoUP (2003): "First Human Development Report of Uttar Pradesh," Lucknow: Planning Department, Government of Uttar Pradesh
- Government of India (2003), Report of the High Power Panel On Minorities, Scheduled Castes Scheduled Tribes & Other Weaker Sections, Ministry of Home Affairs, New Delhi.
- Government of U.P. (2001), Report of the Committee on Social Justice 2001, PlanningDepartment, Lucknow.

- Guillot, M., & Allendorf, K. (2010). Hindu-Muslim differentials in child mortality in India. Genus, 66(2), 43–68.
- Gupta, Abha, and Deepak K. Mishra. "Public Distribution System in Uttar Pradesh: Access, Utilization and Impact." Indian Journal of Human Development 12.1 (2018): 20-36.
- Harriss-White, B., 2019. Part one: the crime–business–politics nexus. The Wild East: Criminal Political Economies in South Asia, 322. UCL Press
- Hasan, Zoya (1989), "Power and Mobilisation: Patterns of Resilience and Change in Uttar Pradesh Politics," in Francine Frankel and M.S.A. Rao (eds.), Dominance and State Power In Modern India, Vol. I, Oxford University Press, Delhi.
- Hassan, H., & Kumar, A. (2014). SOCIOLOGICAL PERSPECTIVES ON CASTE AMONG MUSLIMS IN INDIA. 1(2), http://minoritywelfare.up.gov.in/site/writereaddata/siteContent/ 20210713130154702 0Program-wise- classi□cation_130721%20.pdf accessed on 11.11.2021, 8:39 a.m IST.
- Imtiaz Ahmad (2007), Exploring the Status of Muslims in the Economy, Economic and Political Weekly, September 15.
- International Institute for Population Sciences (2017), National Family Health Survey (NFHS-4),India, 2015-16: Uttar Pradesh, IIPS, Mumbai.
- Jaffrelot, Christophe, Atul Kohli, and Kanta Murali, eds. 2019: Business and Politics in India. Modern South Asia
- Jain, Meenakshi (1966), "Backward Castes and Social Change in U.P. and Bihar," in M.N. Srinivasan (ed.), Caste: Its Twentieth Century Avatar, Viking, New Delhi.
- Jayachandran, S., & Pande, R. (2017). Why are Indian children so short? The role of birth order and son preference. American Economic Review, 107(9), 2600–2629.
- Jeffery, P and R Jeffery (2011): "Obstetric Emergence in the Time of Liberlisation," The State in India after Liberalization: Interdisciplinary Perspectives, Akhil Gupta and K Sivaramakrishnan (eds), London and New York: Routledge, pp 133–52.
- Keefer, P., & Khemani, S. (2003). The political economy of public expenditures. World Bank, Washington, DC.
- Khanum, Azra (2006), Social Pro□le Of Muslim Backward Classes: A Study Of Pihani Block, District Hardoi, U.P., Department Of Sociology & Social Work Aligarh Muslim University, Aligarh.
- Kramer, S. (n.d.). FOR RELEASE SEPTEMBER 21, 202. 48.
- Krieger, N. (2012). Methods for the scienti□c study of discrimination and health: An ecosocialapproach. American Journal of Public Health, 102(5), 936–944.
- Krishna, A (2002): Active Social Capital: Tracing the Roots of Development and Democracy, New York: Columbia University Press
- Kumar, S., 2016. The time of youth. Economic & Political Weekly, 51(53), pp.102-109.
- Kumar, Surendra et al. (2000), Backward and Dalit Muslims: Education, Employment and Poverty, Rawat Publications, Jaipur.
- Lansa 2017: Implementation of the ICDS in Chhattisgarh and Uttar Pradesh (India): A Systemic Study, Research Brief 06, June

- Lieten, GK 1996: Panchayats in Western Uttar Pradesh: 'Namesake' Members, Economic and Political Weekly 31:39, September 28, , 2700 - 2705
- Majumdar, C. and G. Gupta (2013), Financial Inclusion in Hooghly, Economic and Political Weekly. Vol. 48(21), pp. 55-60.
- Mamgain, R.P. and Verick, S., 2017. The state of employment in Uttar Pradesh: Unleashing the potential for inclusive growth. International Labour Organization.
- Manor, James (2002). Democratic decentralisation in two Indian states: Past and present. The Indian Journal of Political Science, 63(1), 51–71
- Martin, Nicolas, and Lucia Michelutti. "Protection rackets and party machines: Comparative ethnographies of "Ma□a Raj" in North India." Asian Journal of Social Science 45.6 (2017): 693-723.
- Mathur, Ravindra S 2019: Craft of Politics Power for Patronage, Manas, Delhi
- Michelutti, Lucia. 2020: "6 Lady Dabang." In Ma□a Raj, pp. 153-176. Stanford University Press,.
- Min, B., & Golden, M. (2014). "Electoral cycles in electricity losses in India," Energy Policy, 65, 619-625
- Misra, K. (2019). No Employment without Participation: An Evaluation of India's Employment Program in Eastern Uttar Pradesh. UMass Amherst Economics Working Papers.
- Mitra Arup and Puneet Kumar Shrivastav 2021: Reliability of PLFS 2019–20 Data, Economic & Political Weekly, September 25, vol lVi no 39
- Mukerji Siddhartha 2018: The 2015 Gram Pradhan Elections in Uttar Pradesh: Money, Power, and Violence, Economic & Political Weekly, June 16
- MWWD (2021): Data on performance Budget 2020-21, downloaded from website of Minority Welfare and Waqf Department (MWWD)
- Nazeer Udin (2012), "Muslim Minority Exclusion And Development Issues: Need For Inclusive Policy," ZENITH International Journal of Multidisciplinary Research, Vol.2, Issue 1.
- NCAER (2015): Evaluation Study of Targeted Public Distribution System in Selected States," NewDelhi.
- Panagariya, Arvind and Vishal More (2013), Poverty by Social, Religious and Economic Groups in India and Its Largest States 1993-94 to 2011-12, Working Paper No. 2013-02, SIPA | School of International and Public Affairs/ISERP | Institute for Social and Economic Research and Policy, Columbia University.
- Piliavsky, A. and Sbriccoli, T., 2016. The ethics of ef□cacy in North India's goonda raj (rule of toughs). Journal of the Royal Anthropological Institute, 22(2), pp.373-391.
- Planning Commission (2009): A Primary Evaluation of Service Delivery under the National Rural Health Mission (NRHM): Findings from a Study in Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, and Rajasthan, Kaveri Gill, Working Paper 1/2009 – PEO, May
- Pritchett, Lant. 2009. Is India a Flailing State?: Detours on the Four Lane Highway to Modernization. HKS Faculty Research Working Paper Series RWP09-013, John F. Kennedy School of Government, Harvard University

- RBI (2016), Financial Inclusion and Development, Accessed from https://www.rbi.org.in/scripts/FS_Overview.aspx?fn=2754, accessed time 1.35pm IST 27/1/2016.
- Sachar Committee (2006), Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community of India: A Report, Prime Minister's High Level Committee, Cabinet Secretariat, Government of India, New Delhi.
- Sachar, R., Hamid, S., Oommen, T., Basith, M., Basant, R., Majeed, A., & Shariff, A. (2006). Social, economic and educational status of the Muslim community of India. East Asian Bureau ofEconomic Research.
- Saxena, N. C. (2019). What Ails the IAS and Why It Fails to Deliver: An Insider's View. Sage Publications India.
- Saxena, N.C. (2013). "Right to Food: Food Security in India." Journal of the National Human Rights Commission, Vol. 12. pp. 85 – 109. At http://www.nhrc.nic.in/Documents/Publications/nhrc_journal_2013.pdf
- Sen, R. (2019). Indian Muslims: Struggling for Equality of Citizenship, by Riaz Hassan (ed.). Asian Journal of Social Science, 47(3), 418–420.
- Singh, Ajit Kumar (2003), Socio-Economic Status of Farming Communities In Northern India, New Royal Book Co, Lucknow.
- SLBC UP (2021) 'Data on Bank branches, ATM and Bank Mitra, downloaded from SLBC website, http://www.slbcup.com/Banking.aspx, http://www.slbcup.com/BankingNetworkOtherMedium .aspx.html , http://www.slbcup.com/BankingBC.aspx.html, accessed on 11.11.2021, 6.32 a.mIST
- SLBC UP (2021): 'Annual Credit Plan (ACP), Target Report FY 2021-22', downloaded from SLBC website http://www.slbcup.com/Leadbank.aspx, accessed on 11.11.2021, 6.52 a.m IST.
- SLBC UP (2021): CD Ratio District wise March 21, Downloaded from http://www.slbcup.com/CDRatioDistrict.aspx, accessed on 11.11.2021, 7.38 a.m IST.
- SLBC UP (2021): Progress of SHG Linkages with Assistance of Banks, downloaded from SLBC website http://www.slbcup.com/SHG.aspx accessed on 11.11.2021, 15.52 IST.
- Srivastava, R. and Ranjan, R., 2019. Deciphering growth and development: Past and present. In Growth, Disparities and Inclusive Development in India (pp. 23-48). Springer, Singapore.
- Srivastava, Ravi S. (2004): Anti-poverty Programmes in Uttar Pradesh: An Evaluation, PlanningCommission, New Delhi
- Subramanian, T.S.R. 2004, Journeys through Babudom and Netaland — Governance in India: Rupa
- Sukhtankar, S. and Vaishnav, M., 2014, July. Corruption in India: bridging academic evidence and policy options. In India Policy Forum. NCAER
- Swarup, Anil (2019): Not Just a Civil Servant, Unicorn, Delhi
- Trivedi, P. K., Goli, S., & Kumar, S. (2016). Does Untouchability Exist among Muslims? 15, 5.

- Trivedi, Prashant K, Srinivas Goli, Fahimuddin and Surinder Kumar (2016), "Identity Equations and Electoral Politics: Investigating Political Economy of Land, Employment and Education," Economic and Political Weekly, December.
- UNICEF 2014. Rapid Survey on Children, 2013-14, New Delhi
- UNICEF 2018. The State of World's Children 2018, New York
- Vaishnav, M. 2011. The Market for Criminality: Money, Muscle and Elections in India. Unpublished manuscript, Columbia University
- Vaishnav, Milan. 2017. When Crime Pays: Money and Muscle in Indian Politics. Yale University Press
- Verniers, G. 2013. 'The Root of the Goonda Raj: Why There Is So Much Violence in Uttar Pradesh'. Daily Brief, June 7. https://scroll.in/article/666450/the-roots-of-goonda-raj-why-theres-so-much-violence-inuttar-pradesh
- Wilkinson, Steven (2004) Votes and Violence: Electoral Competition and Ethnic Riots in India. Cambridge: Cambridge University Press
- World Bank (2008): Public Participation, Teacher Accountability, and School Outcomes, November, New Delhi
- World Bank (2012): Democracy, Public Expenditures, and the Poor, by Philip Keefer and Stuti Khemani, World Bank Policy Research Working Paper 3164
- World Bank 2003: Civil Service Reform in India, Perspectives from the World Bank's Work in Three States, Robert P Beschel Jr. at http:// documents. worldbank. org/ curated/ en/ 211271468033290495/pdf/714880WP0State0el0Reforms0in0India0.pdf
- WSP (2001): Why Some Village Water and Sanitation Committees are Better than Others: A Studyof Karnataka and Uttar Pradesh (India), Water and Sanitation Program, World Bank, Delhi
- (2008), Report of the Committee on Financial Inclusion, Ministry of Finance (Rangarajan Committee). New Delhi.

CENTRE FOR DEVELOPMENT POLICY AND PRACTICE (CDPP)

The Centre for Development Policy and Practice (CDPP) is a research institute that works on development concerns and contemporary public policy challenges.

Working with a team of research professionals and expert consultants, under the guidance of eminent public intellectuals, CDPP conducts research studies, develops policy papers, publishes a peer reviewed quarterly Journal and hosts Conferences, Seminars and Workshops.

CDPP - GOVERNING COUNCIL

1. G. Sudhir is a former IAS officer. He was Chairman of the Commission of Inquiry to study the Socio-economic and Educational conditions of Muslims in Telangana.

2. Amir Ullah Khan is Research Director at CDPP and a Development Economist. He teaches at ISB, IIFT, NALSAR, MCRHRDI and TISS.

3. Neelima Khetan headed the CSR division for companies like Coca-Cola, the Vedanta Group and Hindustan Zinc Limited. She is now visiting fellow at Brookings India

4. Amitabh Kundu has been chairperson of the Post-Sachar Evaluation Committee set up by Ministry of Minority Affairs. Currently, he is chairs a Committee for Swachh Bharat Mission at the Ministry of Drinking Water and Sanitation.

5. Aalok Wadhwa is a management professional with more than three decades of experience working in FMCG, online and social media content, publishing, and retail businesses.

6. Saleema Razvi is a Research Economist at the Copenhagen Consensus Center. She has previously served in organisations like Indian Council for Research on International Economic Relations, Population Foundation of India, and UNICEF.

7. Abdul Shaban is a Professor at Tata Institute of Social Sciences. He has been a member of Post-Sachar Evaluation Committee, Chief Minister's High-Powered Committee on Muslims, Government of Maharashtra; and Sudhir Commission, Telangana.

8. Adeeluddin Syed is a Director at CDPP, and a philanthropist and social worker.

9. Jeemol Unni is a former Director of the Institute of Rural Management, Anand (IRMA) and RBI Chair Professor of Economics at IRMA. She is currently Professor at Ahmedabad University.

10. Rubina Mazhar is a social entrepreneur and Founder of SAFA. SAFA is a self-sustainable organisation working for the socio-economic upliftment of women.

CDPP - RESEARCH TEAM

1. G. Sudhir is Chairman of the Research Team at CDPP, and a former IAS officer.
2. Amir Ullah Khan, Research Director at CDPP, is a former Civil Servant. He has worked with Encyclopedia Britannica, India Development Foundation and the Bill and Melinda Gates Foundation.
3. Netheena Mathews, Senior Fellow (Publications), is also the Managing Editor of the Journal of Development Policy and Practice. She has past experience in Policy Research and Advocacy, Journalism and Academic Publishing.
4. Nahia Hussain, Vice President (Policy Affairs) at CDPP, has worked on diverse issues like Gender Rights, Sustainability, Foreign Policy, and Criminal Justice.
5. Sriram Bhupathiraju, Analyst at CDPP, is an anthropologist with an MPhil from IIT, Hyderabad.
6. Anjana Divakar is Research Associate at CDPP with a Masters in Public Policy from Jindal School of Government and Public Policy. She is Managing Editor of the Journal of Development Policyand Practice.
7. Samia Farheen is research intern at CDPP. She has a triple major in Psychology, Economics and Sociology from Mount Carmel College, Bangalore.
8. Syed Salman Uddin is Manager (Operations and Finance) at CDPP. He has a degree in mechanical engineering from JNTU.
9. Syed Moin Afroz is Lead Graphic Designer at CDPP. He has been a part of the design industry for a decade now.
10. Ismail Shaikh is an Editorial and Communications intern at CDPP.

PARTNERSHIPS AND COLLABORATIONS

World Health Organizaf on

icbc
INDO - CANADIAN
BUSINESS CHAMBER

FOUNDATION

GLOCAL
UNfVERSITY

Ms EDUCATION ACADEMY
PreparingWorldWorthyIndividuals

مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی
MAULANA AZAD NATIONAL
URDU UNIVERSITY

POLICE

CRIDP
CENTRE FOR RESEARCH IN
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT & POLICY

US-INDIA POLICY INSTITUTE

VikasAnvesh Foundation
VAF

OBJECTIVE STUDIES

aequitas

HELPING
HAND

HELPING HAND
FOUNDATION

DEMOCRACY

CDPP CENTRE FOR DEVELOPMENT POLICY AND PRACTICE

Centre for Development Policy and Practice
Office#3, Serene Heights Building, #10-3-303 Humayun Nagar,
Masab Tank, Hyderabad, Telangana 500028